सर्वहारा दृष्टिकोण

डिजिटल संस्करण
इंटरनेट के जरिये वितरण

सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) SUCI (C) का मुखपत्र (पाक्षिक)

वर्ष-41 अंक 10 | 22 मई से 5 जून 2026 | मुख्य संपादक: कॉमरेड प्रभास घोष | कुल पृष्ठ : 8 | मूल्य : 4 रुपये | पृष्ठ 1

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव-2026

तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ जन आक्रोश और एसआईआर से लेकर वोटों की गिनती तक की गयी तरह-तरह की तिकड़मबाजियों से सत्ता में आयी भाजपा

हाल ही में राज्य में हुए विधानसभा चुनावों में भाजपा भारी बहुमत से सत्ता में आयी है। तृणमूल कांग्रेस की बुरी तरह से हार हुई है। सवाल है, यह कैसे संभव हुआ?

सीपीआई (एम) के लम्बे दमघोंटू शासन के खिलाफ लोगों के जबरदस्त गुस्से की लहर पर सवार होकर 2011 में तृणमूल कांग्रेस राज्य की सत्ता पर काबिज हुई थी। लेकिन महज 15 सालों में ही तृणमूल शासन के खिलाफ लोगों की शिकायतों का तांता लग गया। लोगों ने अपने रोजाना के अनुभव से देखा कि जिन उम्मीदों के साथ वे तृणमूल को सत्ता में लाये थे, समय बीतने के साथ-साथ उन उम्मीदों पर पानी फिरने लगा।

तृणमूल कांग्रेस के शासन में राज्य में कानून का राज लगभग खत्म हो चुका था। समाज के निचले तबके में अराजकता व्याप्त थी। स्थानीय नेताओं की दबंगई ने एक सामानांतर प्रशासन खड़ा कर दिया था। जब कोई नया व्यवसाय शुरू करता था, दुकान खोलता था या फिर कोई छोटा-सा मकान बनवाता था, तो पहले नेताओं को बड़ी रकम की सौगात दिये बिना उसके पास और कोई चारा नहीं था। फुटपाथ की दुकानों, रिक्शा, ऑटो वगैरह से नियमित रंगदारी (हफ्ता) वसूलना एक रिवाज बन गया था। तालाबों में मिट्टी भरकर उसे हड़पने, गैर-कानूनी ढंग से जमीन पर कब्जा करने और सिंडिकेट-ठेकेदारी आदि के जरिये नेताओं की धन-दौलत में दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि हो रही थी। विधायकों का घमंड इस स्तर पर पहुंच चुका था कि अनेक जगहों पर विरोधी पार्टी के समर्थक आम गरीबों को चरित्र प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र या आवासीय प्रमाण-पत्र जैसे जरूरी दस्तावेज न देकर उन्हें परेशान किया जाता था। आम लोगों ने इस गुटबाजी, भ्रष्टाचार, रंगदारी व घमंड को तृणमूल कांग्रेस सरकार का पर्याय मान लिया था।

क्या भ्रष्टाचार सिर्फ निचले स्तर तक ही सीमित था? क्या वह उच्च नेतृत्व में भी नहीं फैल चुका था? शिक्षा मंत्री समेत कई नेताओं और मंत्रियों को भ्रष्टाचार की वजह से जेल जाना पड़ा था। लोग समझ चुके थे कि लाखों रुपये रिश्वत दिये बिना नौकरी नहीं मिलेगी। स्कूल शिक्षकों की भर्ती में भ्रष्टाचार सर चढ़कर बोल रहा था। बेरोजगार युवक-युवतियों ने तो मान ही लिया था कि अगर तृणमूल कांग्रेस की सरकार रही, तो नौकरी के लिए कोई परीक्षा नहीं होगी। गौवंश की तस्करी, कोयले की तस्करी और बालू तथा पत्थर की खदानों में पैसों की लूट की बात उजागर हो चुकी थी। लोगों को यह समझने में दिक्कत नहीं हुई कि खुलकर सामने आ चुके ये सारे भ्रष्टाचार तो उसके कुछ कण मात्र हैं।

सरकार के संचालन के दौरान तृणमूल कांग्रेस ने जो नीतिगत कदम उठाये थे, उनसे भी लोगों का गुस्सा बढ़ा। बंगाल की स्कूली शिक्षा कभी पूरे देश के लिए एक मिसाल हुआ करती थी। सीपीआई (एम) सरकार ने अंग्रेजी और पास-फेल प्रथा खत्म कर इस बर्बादी की शुरुआत की थी। तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने उस बर्बादी की रही-रही कसर भी पूरी कर दी। शिक्षकों और आधारभूत ढांचों की कमी के कारण बांग्ला माध्यम के सरकारी स्कूलों की हालत बदतर होती जा रही थी। राज्य में 8207 स्कूल बंद होने के कगार पर हैं। शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण 26,000 शिक्षकों की नौकरियां रद्द होने से राज्य के स्कूलों में पढ़ाई लगभग खत्म होने को है। इसके नतीजतन न केवल शिक्षकों को नुकसान हुआ, बल्कि छात्रों को तो और भी ज्यादा नुकसान हुआ। अभिभावकों में काफी गुस्सा था। इस गुस्से का असर चुनाव में दिखा। इसके अलावा, सभी सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षक, प्रोफेसर और पेंशनरधारी—जो समाज में जनमत तैयार करने में अहम भूमिका निभाते हैं—डीए को लेकर गुस्से में थे। उनका वह गुस्सा चुनाव में दिखाई दिया।

राज्य में कल-कारखाने न रहने की वजह से रोजगार न के बराबर है। नतीजतन, न सिर्फ पढ़े-लिखे युवाओं को, बल्कि बिना किसी डिग्री वाले युवाओं को भी निर्माण मजदूर, राजमिस्त्री, घरेलू सहायक आदि तरह-तरह के काम करने के लिए दूसरे राज्यों और यहां तक कि विदेशों में भी जाना पड़ा है। युवाओं के मन में यह सोच मजबूती से बैठ गयी थी कि इस सरकार के रहते रोजी-रोजगार मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। पढ़े-लिखे और मेधावी युवक-युवतियों को लगा कि अगर तृणमूल कांग्रेस की सरकार रही, तो भर्ती में पारदर्शिता नहीं रहेगी। ऐसे में, झूठे होने के बावजूद भाजपा के हजारों वादों को युवा समाज ने तिनके की तरह पकड़ने की कोशिश की।

राज्य में स्थायी रोजगार तैयार करने के बजाय, तृणमूल कांग्रेस सरकार स्कूल-कॉलेजों और सरकारी कार्यालयों से लेकर पुलिस थानों तक—हर जगह कम वेतन वाले अस्थायी कर्मचारियों से काम करवाती रही। दूसरी तरफ, उसने कुछ थोड़े-से भत्ते देकर लोगों का मुंह बंद कराने की कोशिश की। उसने चुनाव से पहले 'युवा साथी' योजना में 1,500 रुपये देने का एलान कर बेरोजगार युवाओं का समर्थन हासिल करना चाहा। खास तौर पर उसने 'लक्ष्मी भंडार' योजना में 500 रुपये बढ़ाकर महिला वोट बैंक तैयार करना चाहा। यह तथाकथित वोट बैंक भले ही पिछले कई चुनावों में काम आया हो, लेकिन इस बार जैसे ही भाजपा के और ज्यादा पैसे देने के वादे सामने आये, यह वोट बैंक बिखर गया। महिलाओं पर एक के बाद एक अत्याचार, बलात्कार और हत्या की घटनाओं ने राज्य में महिला सुरक्षा के मुद्दे को गंभीर सवालों के घेरे में ला दिया। आर. जी. कर, कसबा लॉ कॉलेज और संदेशखाली की घटनाओं ने हर गली-मोहल्ले में सवाल खड़ा कर दिया कि क्या सचमुच राज्य की तृणमूल कांग्रेस की सरकार हत्यारों और बलात्कारियों को सजा देना चाहती है? आर. जी. कर की घटना में न्याय दिलाने की मांग पर जिस तरह न सिर्फ इस राज्य में, बल्कि पूरे देश और दुनिया के विभिन्न देशों में भी लाखों लोग, डॉक्टर, मेडिकल छात्र-छात्राएं और खासकर महिलाएं सड़कों पर उतरीं, रात-रात भर सड़कों पर डटी रहीं, वैसा पहले कभी नहीं हुआ था। इसके बावजूद, तृणमूल कांग्रेस सरकार ने न्याय देने के बजाय दोषियों को छिपाया। इस घटना से काफी लोग तृणमूल कांग्रेस सरकार से खफा हो गये। आर. जी. कर के अलावा, 26 हजार शिक्षकों की भर्ती में भ्रष्टाचार और शारदा-नारदा घोटाले जैसी घटनाओं को लेकर भी राज्य के लोग तृणमूल कांग्रेस सरकार से काफी नाराज थे। भले ही इनकी जांच की जिम्मेदारी केन्द्रीय एजेंसी को दी गयी, लेकिन एजेंसी ने जांच में टाल-मटोल कर तृणमूल-विरोधी गुस्से का फायदा उठाने की कोशिश की। इसका असर वोटों पर भी दिखा।

भाजपा नेतृत्व के बड़े पैमाने पर साम्प्रदायिक प्रचार, जैसे कि बांग्लादेशी घुसपैठियों से राज्य भर गया है, बॉर्डर इलाकों का धार्मिक चरित्र बदल गया है और हिन्दू जल्द ही अल्पसंख्यक हो जायेंगे, आदि से लोगों का एक हिस्सा भ्रमित हो गया। पश्चिम बंगाल में हिन्दुत्व की झंडाबरदार भाजपा के फैलाव के लिए तृणमूल

(शेष पृष्ठ 3 पर)

पश्चिम बंगाल में चुनाव उपरांत हिंसा व लेनिन की मूर्ति तोड़े जाने का तीव्र विरोध

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में चुनावोपरांत राज्यभर में आतंक फैलाने और विश्व सर्वहारा के महान नेता कॉमरेड लेनिन की मूर्ति तोड़े जाने के खिलाफ 7 मई को कोलकाता के धर्मतल्ला में लेनिन की मूर्ति के पास एसयूसीआई (सी और सीपीआई (एमएल) लिबरेशन के संयुक्त तत्वावधान में सभा का आयोजन किया गया। अन्य वक्ताओं के अलावा एसयूसीआई (सी) के राज्य सचिव कॉमरेड चण्डीदास भट्टाचार्य और सीपीआई (एमएल) लिबरेशन के महासचिव कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य ने सभा को संबोधित किया।

नई आईटी व्यवस्था और प्रेस की स्वतंत्रता

आजकल उन सभी पूंजीवादी-साम्राज्यवादी देशों में, जो लगातार लोकतांत्रिक मर्यादाओं और मानदंडों को तज रहे हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर खतरा बढ़ता जा रहा है और कई मामलों में तो इसे लगभग समाप्त करने की दिशा में कदम बढ़ा दिये गए हैं। इसी के साथ, समाचार मीडिया पर भी गाज गिर रही है, जिसे पूंजीवाद और उसकी राजनीतिक अधिरचना के रूप में बुर्जुआ लोकतंत्र के उदयकाल में 'चौथा स्तंभ' माना जाता था। ऐसा इसलिए था कि प्रेस को राज्य के तीन पारंपरिक अंगों—विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका—पर एक स्वतंत्र प्रहरी के रूप में देखा जाता था, जो किसी जीवंत लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ का काम करता था। यह सत्ता को जवाबदेह रखता था, जनमत को

(शेष पृष्ठ 2 पर)

लेबर कोड नियमों का ट्रेड यूनियनों ने किया पूरे भारत में विरोध

लेबर कोड नियमों को 8 मई, 2026 को अधिसूचित करने के केन्द्र सरकार के मनमाने कदम के खिलाफ एआईयूटीयूसी सहित केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच के आह्वान पर श्रमिकों ने 12 मई को देश में जगह-जगह जुलूस निकालकर और धरने-प्रदर्शन कर अपना रोष व्यक्त किया।

(शेष पृष्ठ 4 पर)

नई आईटी व्यवस्था और प्रेस की स्वतंत्रता...

(पृष्ठ 1 का शेष)

प्रभावित और अभिव्यक्त करता था, पारदर्शिता सुनिश्चित करता था और सरकार की उन नीतियों की आलोचना करता था, जो जनहित के खिलाफ समझी जाती थीं। अब, 21वीं सदी में 'चौथे स्तंभ' के अंतर्गत समाचार मीडिया की सभी शाखाएं–प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया–शामिल हैं।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्षरण

लेकिन समय बीतने के साथ, जैसे-जैसे पूंजीवादी व्यवस्था अपनी मरणासन्न अवस्था की ओर बढ़ने लगी, बुर्जुआ लोकतंत्र का क्षरण भी साथ-साथ शुरू हो गया। जब पूंजीवाद अपने उच्चतम चरण यानी साम्राज्यवाद तक पहुंच गया, तो यह पूरी तरह से प्रतिक्रियावादी हो गया और इसके पास जो भी लोकतांत्रिक तत्व थे, वे लुप्त हो गए। तब से बुर्जुआ लोकतंत्र का पतन और क्षरण अत्यंत क्रूरता के साथ प्रकट होने लगा और धीरे-धीरे यह फासीवादी निरंकुशता में बदलने लगा। नतीजतन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुल्हाड़ी चला दी गई। मुख्यधारा का मीडिया, जिसका मालिकाना बड़े-बड़े एकाधिकारी पूंजीपति घरानों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास है, अब और अधिक पक्षपाती, राय थोपने वाला, शासक वर्ग के सेवकों के प्रति राजनीतिक रूप से प्रतिबद्ध और कड़ाई से नियंत्रित हो गया है।

सेंसरशिप का नया स्वरूप

यही कारण है कि अब सेंसरशिप फौज के बूटों की आहट के साथ नहीं आती, बल्कि कानूनी अधिसूचनाओं, अनुपालन ढांचों और नौकरशाही के फरमानों के जरिये काम करती है। भारत में, जो अब एक प्रभावशाली साम्राज्यवादी ताकत बन चुका है, 'स्वतंत्र या निष्पक्ष पत्रकारिता' के दिन लद चुके हैं। सत्ता पक्ष के खिलाफ कुछ भी बोलें या सरकार के किसी कदम की हल्की-सी भी आलोचना करें, तो आप पर राजद्रोह का आरोप लगाकर जेल भेज दिया जाएगा। 'रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स' (आरएसएफ) द्वारा जारी 2025 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार, 180 देशों में भारत 151वें स्थान पर है। रिपोर्ट में भारत की स्थिति को "बेहद गंभीर" श्रेणी में रखा गया है, जिसमें राजनीतिक दबाव, मीडिया मालिकाने का केन्द्रीकरण और पत्रकारों के लिए खतरों को रेखांकित किया गया है।

अब प्रेस की स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अन्य रूपों में भी बाधित किया जा रहा है। देश की सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) व्यवस्था में नवीनतम संशोधन, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण ढांचे के विस्तार के साथ, आलोचना की किसी भी आवाज को दबाने की एक चालाकीभरी चाल है। सरकार का दावा है कि डीपफेक, भ्रामक जानकारी, एआई-जनित धोखाधड़ी और ऑनलाइन नुकसान को रोकने के लिए नए आईटी संशोधन आवश्यक हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये खतरे वास्तविक हैं। सिंथेटिक मीडिया फर्जी सामग्री से लोगों को धोखा दे सकता है, मतदाताओं को प्रभावित कर सकता है, अफवाहें फैला सकता है और जातिवादी- सांप्रदायिक तनाव व खूनखराबे को भड़का सकता है। लेकिन भ्रामक सूचनाओं और प्रेरित प्रचार के इस अंबार पर लगाम लगाने के लिए एक सख्त प्रशासनिक नियंत्रण और सरकारी हस्तक्षेप सहित बाहरी प्रभाव से मुक्त दंडात्मक मशीनरी की जरूरत है।

खबरों के मुताबिक, नए नियम सामग्री हटाने (टेकडाउन) की समय सीमा को नाटकीय रूप से कम कर देते हैं, जिसके तहत प्लेटफॉर्मों को आधिकारिक नोटिस मिलने के कुछ घंटों के भीतर ही विशिष्ट सामग्री हटानी होगी। वे कार्यपालिका द्वारा जारी लिखित सलाह, स्पष्टीकरण और संचालन प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए मध्यस्थों की मजबूरी को भी बढ़ाते हैं। यही मुख्य खतरा है: जब कार्यकारी एजेंसियां एक ही समय में शिकायतकर्ता, जांचकर्ता, अभियोजक और सेंसर बन जाती हैं, तो संवैधानिक स्वतंत्रता एक प्रशासनिक बाधा बनकर रह जाती है।

एडिटर्स गिल्ड का विरोध

इसीलिए देश के प्रमुख पत्रकार संगठन एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने इन कानूनों का पुरजोर विरोध किया है। गिल्ड का मानना है कि प्रस्तावित बदलाव मंत्रालयों को बिना किसी पर्याप्त न्यायिक सुरक्षा के सामग्री को विनियमित करने, ब्लॉक करने या दबाने की "व्यापक शक्तियां" प्रदान करते हैं। तर्क सरल है: अगर प्लेटफॉर्मों को अनुपालन न करने पर कानूनी सुरक्षा खोने का डर होगा, तो वे अभिव्यक्ति की रक्षा नहीं करेंगे, बल्कि वे सामग्री को अत्यधिक मात्रा में हटाना शुरू कर देंगे। व्यंग्य, खोजी पत्रकारिता, व्हिसलब्लोअर लीक, राजनीतिक पैरोडी और असुविधाजनक तथ्य इसके 'कोलेटरल डैमेज' बन जाएंगे। गिल्ड की चेतावनी दो-टूक है: ये उपाय प्रेस की स्वतंत्रता को खतरे में डालते हैं, कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार करते हैं और असहमति के खिलाफ एक व्यापक 'चिलिंग इफेक्ट' (दहशत का प्रभाव) पैदा करते हैं। यह समझना जरूरी है कि यह केवल तकनीकी विनियमन का विवाद नहीं है। यह इस बात का संघर्ष है कि डिजिटल युग में सत्य पर किसका नियंत्रण होगा: नागरिकों और स्वतंत्र प्रेस का या राज्य और उसकी प्रशासनिक मशीनरी का।

एक बार जब ऐसा कानून चलन में आ जाता है, तो पत्रकारों को जेल भेजने की जरूरत नहीं रह जाती, अगर इसके बिना ही उन्हें डराया-धमकाया जा सके। प्रकाशकों को प्रतिबंधित करने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर उन्हें नियमों के बोझ तले दबाया जा सके। प्लेटफॉर्मों पर कब्जा करने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर उन्हें आज्ञापालन के लिए मजबूर किया जा सके। राजनीतिक रूप से रसूखदार लोगों से जुड़ी कॉर्पोरेट धोखाधड़ी की जांच करने वाला रिपोर्टर लीक हुए दस्तावेजों को प्रकाशित करने में हिचकिचा सकता है। सरकारी प्रचार का मजाक उड़ाने वाले व्यंग्यकार की सामग्री गायब हो सकती है। सीमित कानूनी संसाधनों वाला एक स्थानीय न्यूजरूम नियामक कार्रवाई के जोखिम के बजाय ऐसी खबरों से पूरी तरह बचने की कोशिश कर सकता है।

यही कारण है कि एडिटर्स गिल्ड बार-बार "चिलिंग इफेक्ट" शब्द का इस्तेमाल करता है। यह एक ऐसी व्यवस्था का वर्णन करता है, जिसमें लेखक प्रकाशन से पहले स्वयं ही सेंसरशिप (सेल्फ सेंसरशिप) कर लेते हैं, संपादक छपने से पहले खबरों को हल्का कर देते हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म किसी भी अदालत के विचार करने से पहले ही वैध सामग्री को हटा देते हैं। आधुनिक राज्यों में स्वतंत्रता इसी तरह दम तोड़ती है–सिर्फ प्रतिबंधों के जरिये ही नहीं, बल्कि डर के जरिये।

पत्रकारिता सुरक्षा के बिना डेटा संरक्षण

विवाद केवल आईटी नियमों तक सीमित नहीं है। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम के तहत अधिसूचित नियमों ने तो और भी अधिक चिंता पैदा कर दी है, क्योंकि इनमें वास्तविक पत्रकारिता कार्य के लिए छूट का अभाव है। गिल्ड का कहना है कि खोजी पत्रकारिता अक्सर जनहित में व्यक्तिगत डेटा के विश्लेषण पर निर्भर करती है–चाहे वह शेल कंपनियों की जांच हो, भूमि रिकॉर्ड हो, खरीद सौदे हों या सत्ता का दुरुपयोग हो। स्पष्ट सुरक्षा उपायों के बिना, सामान्य पत्रकारिता को अनधिकृत "डेटा प्रोसेसिंग" के रूप में व्याख्यायित किया जा सकता है। इसका अर्थ है सहमति की आवश्यकताएं, अनुपालन का बोझ, डेटा रखने की अवधि पर अनिश्चितता और संभावित दंड। समाचार एकत्र करना ही कानूनी रूप से जोखिम भरा हो जाता है। यह लोकतांत्रिक तर्क का एक गहरा उलटफेर है। डेटा गोपनीयता अनिवार्य है, लेकिन गोपनीयता कानून को नागरिकों को शोषण से बचाना चाहिए, न कि सत्ता को जांच से।

ऐसा समाज जहां पत्रकारों को ताकतवर लोगों की जांच करने के लिए इजाजत की जरूरत हो, वह मुक्त समाज नहीं, बल्कि दम घोटने वाला समाज है। मुद्दा यह नहीं है कि विनियमन होना चाहिए या नहीं। मुद्दा यह है कि क्या विनियमन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है या इसे सत्तावादी नियंत्रण के अधीन करता है। एक लोकतांत्रिक सरकार, जो अपने मूल स्वरूप के प्रति सच्ची है, पारदर्शी प्रक्रियाओं, स्वतंत्र समीक्षा, सीमित प्रतिबंधों और न्यायिक निरीक्षण के जरिये नुकसान को नियंत्रित करती है, न कि अस्पष्ट कानूनों, अपारदर्शी निर्देशों, जल्दबाजी में सामग्री हटाने और नागरिकों को क्या देखना चाहिए यह तय करने वाले मंत्रालयों के जरिये।

एडिटर्स गिल्ड की मांगें वाजिब और लोकतांत्रिक हैं:

1. दंडात्मक 'टेकडाउन' शक्तियों के लिए स्वतंत्र न्यायिक प्राधिकरण की इजाजत लेना जरूरी होना चाहिए, सिवाय स्पष्ट रूप से परिभाषित आपात स्थितियों के।

2. सामग्री पर कोई भी प्रतिबंध पारदर्शी, अपील योग्य और सार्वजनिक रूप से प्रकट होना चाहिए। किसी गणतंत्र में गुप्त सेंसरशिप का कोई स्थान नहीं है।

3. जनहित में रिपोर्टिंग के लिए डेटा संरक्षण कानून के तहत पत्रकारिता को स्पष्ट छूट मिलनी चाहिए।

4. प्लेटफॉर्म लायबिलिटी (जवाबदेही) के नियम सजा के डर से अंधाधुंध सेंसरशिप को प्रोत्साहित करने वाले नहीं होने चाहिए।

5. अंततः सभी डिजिटल विनियमन पत्रकारों, नागरिक समाज, प्रौद्योगिकीविदों और संवैधानिक विशेषज्ञों के साथ वास्तविक परामर्श से उभरने चाहिए, न कि कार्यकारी आदेशों से।

हम भी इन जायज मांगों का समर्थन करते हैं और पत्रकार बिरादरी से आह्वान करते हैं कि वे सभी डर-भय से ऊपर उठकर आवाज को दबाने की ऐसी कोशिशों को विफल करने के लिए एक एकजुट, जोरदार और निरंतर आंदोलन खड़ा करें। ❑

खाद के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी का एसयूसीआई(सी) ने किया कड़ा विरोध

रेवाड़ी (हरियाणा) : कृषि में काम आने वाली एनपीके खाद की विभिन्न कैटेगरियों के दामों में की गई बेतहाशा बढ़ोतरी का एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) ने कड़ा विरोध जताया है। एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के हरियाणा राज्य सचिव कॉमरेड राजेंद्र सिंह ने 7 मई को जारी प्रेस बयान में खुलासा करते हुए बताया कि एनपीके खाद की 4 कैटेगरी हैं, जिसमें 225 रुपये से लेकर 300 रुपये प्रति बैग की बढ़ोतरी की गयी है। यह बढ़ोतरी नाजायज और गलत है। यह किसानों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ है। सरकार की किसान-विरोधी नीतियों के कारण खेतीबाड़ी पहले ही घाटे का सौदा हो रही है। किसान परिवारों पर कर्ज बढ़ता जा रहा है। कृषि में काम आने वाली तमाम चीजों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। सरकार को किसानों की जरा भी चिंता नहीं है, सरकार को केवल खाद बनाने वाली कंपनियों के मुनाफे की चिंता है। उन्हीं कंपनियों के फायदे में एनपीके के दाम बढ़ाये गए हैं।

एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) सरकार से मांग करती है कि इस अनाप-शनाप बढ़ोतरी को तुरंत वापिस लिया जाए।

गौरतलब यह भी है कि जब किसान एनपीके, डीएपी, यूरिया आदि खरीदता है, तो किसान की इच्छा के विरुद्ध जबरन कृषि से संबंधित अन्य चीजों को खरीदने के लिए उसे बाध्य किया जाता है। अगर किसान उनको नहीं खरीदता है, तो उसे खाद भी नहीं दिया जाता। यह किसानों के साथ जबरदस्ती है।

एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) ने किसानों और किसान संगठनों से आह्वान किया है कि वे एनपीके खाद के दामों में की गयी इस बेतहाशा बढ़ोतरी और कंपनियों के माल को किसानों को जबरन बेचने के खिलाफ हर स्तर पर अपनी जोरदार आवाज बुलंद करें।

शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज की एसयूसीआई(सी) ने की कड़ी भर्त्सना

पटना (बिहार): पटना में 8 मई को शिक्षक अभ्यर्थियों पर पुलिस द्वारा किये गये बर्बर लाठीचार्ज की कड़ी निंदा करते हुए एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के राज्य सचिव कॉमरेड अरुण कुमार सिंह ने 9 मई को जारी प्रेस बयान में कहा कि बिहार लोक सेवा आयोग के चौथे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा की अधिसूचना जारी करने और पूर्व की तरह एकल परीक्षा के आधार पर नियुक्ति की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर भाजपा-नीत राज्य सरकार की पुलिस द्वारा किये गये बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज की हम कड़ी निंदा करते हैं।

उन्होंने कहा कि एक दिन पहले ही राज्य में भाजपा-नीत राज्य सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ और अगले ही दिन से सरकार ने अपना जनविरोधी और रोजगार-विरोधी रुख जाहिर कर दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने अभ्यर्थियों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा। इस दौरान कई छात्रों के सिर फूट गये और कई छात्राएं बेहोश हो गईं। अनेक छात्र-छात्राएं गंभीर रूप से घायल हैं।

उन्होंने कहा कि खबरों के अनुसार बिहार में लगभग एक लाख शिक्षकों के पद रिक्त हैं, लेकिन उन पर नियुक्ति-बहाली नहीं हो रही है। ऊपर से चौथे चरण की परीक्षा की अधिसूचना भी जारी नहीं हुई है। ऐसे में शिक्षक अभ्यर्थियों में रोष होना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि शिक्षक अभ्यर्थियों की मांगें सुनने और उन्हें पूरा करने की बजाय उन पर बेरहमी से लाठीचार्ज करना पूरी तरह से अलोकतांत्रिक और तानाशाहीपूर्ण रवैया है।

कॉमरेड सिंह ने राज्य सरकार से मांग की कि वह अभ्यर्थियों की जायज मांगें मान ले, लाठीचार्ज में घायल शिक्षक अभ्यर्थियों के इलाज की सरकारी स्तर पर मुफ्त व्यवस्था करे, गिरफ्तार अभ्यर्थियों को बेशर्त रिहा करे और लाठीचार्ज के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे।

कॉमरेड सिंह ने राज्य की डबल इंजन वाली भाजपा-नीत सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ हर तबके के लोगों को एकजुट होकर जन आन्दोलन खड़ा करने की अपील की।

मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र में सांप्रदायिक हत्या और तोड़फोड़

मेघालय के पश्चिम गारो हिल्स जिले की स्वायत्त जिला परिषद का चुनाव 10 अप्रैल 2026 को होना था। परिषद में 30 सीटें हैं, जिनमें से 27 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं, एक नामांकन द्वारा भरी जानी है और शेष दो निर्वाचन क्षेत्र सभी के लिए खुले हैं। इन दो निर्वाचन क्षेत्रों (श्यामनगर और राजबाला) में 80% से 90% आबादी मुस्लिम है।

9 मार्च, 2026 को पूर्व विधायक अपने समर्थकों के साथ उपरोक्त चुनाव में नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए जिला मुख्यालय तुरा गए। लेकिन उम्मीदवार और उनके समर्थकों को कुछ गारो भाषी बदमाशों ने बेरहमी से पीटा और उन्हें नामांकन पत्र जमा नहीं करने दिया। घटना के बाद सिबिनांग बाजार में इस घटना के विरोध में एक जनसभा आयोजित की गई। उस समय एक अफवाह फैलाई गई कि कुछ मुस्लिमों ने स्थानीय चर्च में तोड़फोड़ की। झूठी खबर से प्रभावित होकर कुछ गारो भाषी सशस्त्र गुंडों ने कुछ अन्य गारो युवकों के साथ सिबिनांग बाजार पर धावा बोल दिया और दुकानों और घरों में आग लगा दी, जबकि पुलिस मूक दर्शक बनी रही। इस हिंसा ने स्थानीय लोगों के बीच गंभीर प्रतिक्रिया पैदा की और वे अपना विरोध दर्ज कराने के लिए सड़क पर उतर आए। लेकिन फिर पुलिस ने निहत्थे शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की, जिसमें दो लोग मारे गये और कई गंभीर रूप से घायल हो गये। लोग यह देखकर स्तब्ध रह गये कि जब गारो भाषी उपद्रवी लूटपाट और आगजनी कर रहे थे, तब तो पुलिस ने हस्तक्षेप करने का कोई प्रयास नहीं किया, लेकिन वही पुलिस प्रदर्शनकारी जनता को दबाने में अति सक्रिय थी और उन पर गोली चलाने में भी संकोच नहीं किया।

घटना के बाद, अधिकारियों ने चुनाव को स्थगित रखने की अधिसूचना जारी की। गौरतलब है कि गारो हिल्स जिले की दो सीटें श्याम नगर और बलारविता सामान्य उम्मीदवारों के लिए खुली हैं। हालांकि इस बार एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि केवल गारो समुदाय से संबंधित उम्मीदवार ही इन दो निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने के लिए पात्र होंगे। लेकिन इन दो उपरोक्त निर्वाचन क्षेत्रों में रहने वाले 70% से 80% लोग गैर-गारो मुस्लिम समुदायों से संबंधित हैं।

यह भयानक घटना छिटपुट नहीं थी। मेघालय राज्य का उत्तरी भाग, जो लगभग 150 किलोमीटर की दूरी तक फैला हुआ है, मुख्य रूप से मुसलमानों द्वारा बसा हुआ है और वे ब्रिटिश शासन के बाद से इस क्षेत्र में रह रहे हैं। 1972 में, जब मेघालय को असम से अलग किया गया था, तब इस क्षेत्र को असम के साथ बनाये रखने की मांग की गई थी। लेकिन उस समय मेघालय के पहले मुख्यमंत्री कैप्टन विलियमसन संगमा ने उन्हें उनके लोकतांत्रिक अधिकारों की सुरक्षा, भूमि के अधिकार और मेघालय विधानसभा की 60 सीटों में से 10 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ने के अधिकार जैसे कई लाभों का वादा करके मेघालय में शामिल होने के लिए लुभाया था। लेकिन बाद में गारो हिल्स की कट्टरपंथी ताकतों के उकसाने पर सीटों की संख्या 10 से घटाकर 5 कर दी गयी। इसके बाद भी वहां सौहार्दपूर्ण वातावरण था और मुसलमान और गारो लोग शांति से रह रहे थे और व्यापार-वाणिज्य में सक्रिय रूप से भाग ले रहे थे।

लेकिन असम आंदोलन के आगमन पर स्थिति ने एक अलग रूप-आकार ले लिया। एक निराधार प्रचार था कि लाखों बांग्लादेशी असम में घुसपैठ कर रहे हैं, जिससे असमिया समाज का सामाजिक ताना-बाना खतरे में पड़ रहा है और असमिया भाषा और संस्कृति का भविष्य खतरे में पड़ रहा है। तब से, अन्य पूर्वोत्तर राज्य इस निराधार, गलत इरादे वाले दुष्प्रचार से ग्रस्त हैं कि इन क्षेत्रों के लोगों की पहचान खतरे में है। असम की तरह, एक झूठा प्रचार कि इस क्षेत्र के ये सभी मुस्लिम लोग घुसपैठिए हैं और वे बांग्लादेश से आए हैं। घृणा अभियान ने बहुत गंभीर रूप ले लिया और उन्होंने खुले तौर पर यह भी कहा कि ''यह भूमि हमारी है''। ये लोग घुसपैठिये हैं। इन लोगों को बाहर निकाल देना चाहिए। भाजपा के सत्ता में आने के बाद कट्टरपंथी ताकतें और भी उग्र हो गयीं और मुस्लिम व्यापारियों को नियमित रूप से परेशान किया जा रहा था, उनका अपहरण किया जा रहा था और यहां तक कि सरकार की मौन सहमति से उनकी हत्या भी की जा रही थी। भाजपा ने इस स्थिति का फायदा उठाने में समय नहीं लगाया और घोषणा की कि गारो हिल्स जिले में रहने वाले सभी मुस्लिम लोग बांग्लादेशी हैं। इस बार यह स्पष्ट है कि हिंसा सुनियोजित तरीके से की गयी थी। स्थानीय लोगों का दृढ़ विश्वास है कि आरएसएस-भाजपा ने पर्दे के पीछे से डोर खींची थी। क्योंकि दुकानों और आवासीय इमारतों को जलाने और लूटने से पहले, हिंदुओं की संपत्तियों पर भगवा झंडे लगाये गये थे, जबकि गारो लोगों की संपत्तियों को 'अचिक' के रूप में चिह्नित किया गया था ताकि वे अछूते रहें। इतना ही नहीं, मेघालय राज्य के भाजपा अध्यक्ष ने राज्य के राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई कि गारो हिल्स स्वायत्त जिले की बैठक जल्द से जल्द बुलायी जाए और गैर-गारो उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोकने का प्रस्ताव लिया जाए। भाजपा के नेतृत्व वाली असम सरकार के उपसभापति, जो गारो समुदाय से हैं, ने भी दावा किया है कि गारो हिल्स जिले के मैदानी इलाकों में रहने वाले सभी मुस्लिम लोग बांग्लादेश से आये अवैध घुसपैठिए हैं ताकि उनकी जमीन के अधिकार के साथ-साथ चुनाव लड़ने के अधिकार को भी छीन लिया जाए।

यह याद किया जा सकता है कि स्वतंत्रता से पहले, गारो हिल्स के मैदान-बेल्ट का उत्तरी हिस्सा गौरीपुर के जमींदार के अधीन था, जबकि दक्षिणी खंड का स्वामित्व कराईबारी के जमींदार के पास था। उस समय से इन क्षेत्रों में गैर-जनजातीय आबादी मुख्य रूप से मुसलमानों की थी। अब गैर-आदिवासियों के पास फुलबारी और राजबाला विधानसभा सीटों के अलावा किसी अन्य सीट पर चुनाव लड़ने और जीतने का कोई अवसर नहीं है। भाजपा ने दशकों से उस क्षेत्र में रह रहे मुस्लिम आबादी के लोकतांत्रिक और नागरिक अधिकारों को छीनने के लिए गारो युवाओं के एक हिस्से के बीच सांप्रदायिक उन्माद को भड़का दिया है। इसके नतीजतन, चिबिनांग, राजबाला और भैतबारी क्षेत्र अब अत्यधिक तनावग्रस्त हैं।

इन घटनाक्रमों पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए एसयूसीआई (सी) की असम राज्य सचिव कॉमरेड चंद्रलेखा दास ने एक बयान में कहा कि पार्टी दृढ़ता से विश्वास करती है कि सभी उत्पीड़ित लोगों के हित, चाहे वे गारो, रावा, बोडो या मुस्लिम समुदाय से हों, एक ही हैं। सभी समुदायों के उत्पीड़ित लोगों को सभी गरीब लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट होना चाहिए ताकि सत्तारूढ़ दमनकारी पूंजीपति वर्ग और उसकी ताबेदार पार्टियां 'फूट डालो और राज करो' की नीति पर चलकर उनकी एकता न तोड़ सकें। यह याद रखना चाहिए कि सांप्रदायिकता का तोड़ प्रति-सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना नहीं है। केवल लोकतांत्रिक विचारों और मूल्यों पर आधारित एक लोकतांत्रिक माहौल बनाने से ही सांप्रदायिकता के जहर को दूर रखा जा सकता है।

हम लोगों और सरकार से इस सवाल पर विचार करने का आग्रह करते हैं। शांति बनाये रखने और लोगों की संपत्तियों को सुरक्षित रखने के कई तरीके हैं। उन रास्तों को त्यागकर, आम लोगों पर अंधाधुंध गोलीबारी करने से मेहनतकशों के बीच शांति और सौहार्द को मजबूत करने में बाधा उत्पन्न होती है। हम चिबिनांग बाजार में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोलीबारी करने का पुरजोर विरोध करते हैं और मृतकों और घायलों के परिवारों को पर्याप्त मुआवजे, घायलों के लिए उचित उपचार, घर-बार से बेदखल किये गए लोगों के उचित पुनर्वास और शांति बनाये रखने के लिए सख्त उपाय की मांग करते हैं।

हम यह भी मांग करते हैं कि निर्दोष लोगों की हत्या जैसे जघन्य अपराध करने वालों को अनुकरणीय सजा दी जानी चाहिए। साथ ही, हम इस अशांत क्षेत्र में रहने वाले सभी तबकों के लोगों से शांति और सद्भाव बनाये रखने के लिए पूरा प्रयास करने का आह्वान करते हैं। ■

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव

(पृष्ठ 1 का शेष)

कांग्रेस की नरम हिन्दुत्व की राजनीति भी कम जिम्मेदार नहीं है। एक ओर, तृणमूल कांग्रेस ने हिन्दुत्व की राजनीति की फूटपरस्ती और नफरत के खिलाफ खुद को अल्पसंख्यकों का मसीहा बताकर उन्हें वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया, तो दूसरी ओर, वह हिन्दुत्व की राजनीति का सैद्धांतिक तरीके से सामना करने के बजाय, भाजपा के कट्टर हिन्दुत्व के जवाब में यह कहकर नरम हिन्दुत्व की राजनीति करती रही कि "हम भी कम हिन्दू नहीं हैं।" इसी का उदाहरण है जगन्नाथ मंदिर, महाकाल मंदिर, दुर्गाआंगन और राम नवमी पर भाजपा के जवाब में जुलूस। दरअसल, भाजपा की कट्टर हिन्दुत्व की राजनीति का मुकाबला करने के नाम पर तृणमूल कांग्रेस भाजपा के तय किये धर्म आधारित ध्रुवीकरण की राजनीति के रास्ते पर ही चलती रही। इससे अंततः हिन्दुत्व को ही बल मिला, जिसका फायदा भाजपा को मिला। मुसलमानों का जो वोट अब तक तृणमूल कांग्रेस को मिलता आया है, इस बार वह आईएसएफ, कांग्रेस, हुमायूं कबीर और एमआईएम के बीच बंट गया।

तृणमूल कांग्रेस लम्बे समय से अपना संगठन ऐपैक (एआईपीएसी) के आंकड़े, उसकी राय और पुलिस-प्रशासन के भरोसे चलाती रही है। नतीजतन, पार्टी के निचले तबके में उच्च नेतृत्व के खिलाफ गुस्सा था। इसी गुस्से में पार्टी के एक हिस्से ने भाजपा को वोट दिया।

भारी भरकम खर्च कर भाजपा के चुनाव प्रचार की चकाचौंध ने लोगों को कुछ हद तक ही सही प्रभावित किया। बड़ी संख्या में पार्टी के केन्द्रीय नेताओं का राज्य में लम्बे समय तक रहकर चुनाव प्रचार करना, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री की अनगिनत जनसभाओं और उनके द्वारा किये गये बेहिसाब वादों का लोगों पर असर पड़ा, जिसका प्रतिबिम्बन मतदान में हुआ।

सत्ता के ऐशो-आराम वाले साम्राज्य से तृणमूल कांग्रेस द्वारा बेदखल किये जाने का गम शायद आज भी सीपीआई (एम) नेता भूले नहीं हैं। इसलिए तृणमूल कांग्रेस को मुख्य दुश्मन मानकर उन्होंने सिर्फ नाम के वास्ते भाजपा का विरोध किया। जाहिर है, उनके कुछ नेताओं की सीटों को छोड़कर, उनके ज्यादातर समर्थकों ने भाजपा को वोट दिया।

एसआईआर के जरिये मतदाता सूची से 90 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिये गये हैं। यह भाजपा की सोची-समझी योजना थी। इस योजना की शुरुआत चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के नियमों में बदलाव कर अपने वफादार चुनाव आयुक्त नियुक्त करने के जरिये हुई। दरअसल, चुनाव आयोग ने भाजपा का होकर काम किया। आयोग के विशेष पर्यवेक्षक सुब्रत गुप्ता को चुनाव खत्म होते ही मुख्यमंत्री के सलाहकार के पद से नवाजा जाना तथा राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) मनोज अग्रवाल को सुवेंदु सरकार में मुख्य सचिव बनाया जाना साबित करता है कि वास्तव में आयोग और भाजपा में कोई फर्क नहीं था। नागरिकों के एक बड़े हिस्से को वोट देने से रोकने की रणनीति ने भी तृणमूल कांग्रेस का वोट प्रतिशत घटाने में मदद की। कई सीटों पर देखा गया कि वहां तृणमूल कांग्रेस जितने वोटों के अंतर से हारी है, एसआईआर के जरिये उतने ही या उससे ज्यादा नाम हटाये गये हैं। पूरी तरह से केन्द्रीय बलों की देखरेख में चुनाव होने की वजह से सत्ताधारी पार्टी के लिए इस बार फर्जी वोट डलवाना संभव नहीं हो सका, जैसा कि सत्ताधारी पार्टियां हर चुनाव में किया करती हैं। इस बार, दरअसल भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी के वफादार अधिकारियों और केन्द्रीय बलों की मदद से कई गणना केन्द्रों पर कब्जा कर लिया था। आखिरी समय में, विपक्षियों की गैर मौजूदगी वाले गणना केन्द्रों में ऐसी घटनाएं भी हुईं कि अधिकारियों को भाजपा नेताओं के कहने पर प्राप्त वोटों की संख्या लिखने के लिए मजबूर किया गया। सरकार पर कब्जा करने के लिए बेचैन भाजपा ने मतदाता सूची से मतों की गिनती तक-हर स्तर पर तरह-तरह की तिकड़मों का सहारा लिया। जाहिर है, तृणमूल कांग्रेस की यह हार लोगों में भाजपा के प्रति किसी आकर्षण की वजह से नहीं हुई है, बल्कि तृणमूल कांग्रेस सरकार के कुशासन से नाराज लोगों ने उसे सत्ता से बेदखल करने के लिए भाजपा का साथ दिया है।

इस चुनाव में एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) ने 230 विधानसभा क्षेत्रों में अपने उमीदवार खड़े कर लोगों के सामने एक वैकल्पिक राजनीति पेश की। पार्टी ने चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की चोरी, भ्रष्टाचार और रंगदारी-वसूली सहित उसकी गलत राजनीति के खिलाफ प्रचार करते हुए भाजपा की साम्प्रदायिक राजनीति के गंभीर खतरे के साथ-साथ एकाधिकारी पूंजी के हित साधने के उसके चरित्र से भी लोगों को आगाह किया। पार्टी ने बार-बार दिखाया कि तृणमूल कांग्रेस का विकल्प भाजपा नहीं है। क्योंकि लोगों के जीवन की तमाम दुख-तकलीफों की जड़ पूंजीपति वर्ग के हित में संचालित यही उत्पादन व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था है, इसलिए सरकार में बदलाव लाकर, पूंजीपति वर्ग के हित साधने वाली किसी पार्टी को हटाकर, पूंजीपति वर्ग की ही वफादार किसी दूसरी पार्टी को सत्ता में लाकर जनजीवन की परेशानियां और दुख-तकलीफें खत्म नहीं होंगी। पार्टी के इस रुख ने जनमानस पर गहरी छाप छोड़ी है।

इस समाज के सभी फायदों का उपभोग कर रहा शासक वर्ग, बिना लड़े जनता को एक छटांक भी नहीं देगा। इसलिए उन्नत नीति के आधार पर जनता के एकजुट सचेत संघर्ष की जरूरत है। सीपीआई (एम) नेतृत्व का कांग्रेस से गठजोड़ करने की कोशिश या आईएसएफ के साथ गठजोड़ या फिर भाजपा के प्रति इसकी कमजोरी को कई वामपंथी सोच वाले लोगों ने सही नहीं माना। वे एसयूसीआई (सी) के साथ खड़े हो गये।

इस राज्य के चुनावों में 'बदलाव जरूरी है' का नारा लगाने वाली भाजपा कोई नयी पार्टी नहीं है। केन्द्र सरकार और 15 राज्यों में उसके शासन का जनविरोधी चरित्र लोगों के लिए कोई अनजाना नहीं है। भले ही भाजपा अपने उस चरित्र को तृणमूल कांग्रेस से तंग आ चुके लोगों से फिलहाल छिपा ले, लेकिन उसके असली रूप को पहचानने में देर नहीं लगेगी। चुनाव बाद राज्यभर में हिंसा, आतंक, आगजनी, तोड़फोड़ और हत्याओं का मंजर, दूध व रसोई गैस सहित रोजमर्रे की चीजों के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी तथा रेहड़ी-पटरी वालों के लिए वैकल्पिक इंतजाम न कर उनकी दुकानों को बुलडोजर से जमींदोज करने की कार्रवाई से उसका असली रूप सामने आने लगा है। ऐसे में लोगों के पास रोजी-रोटी के सवाल पर सड़कों पर उतरने के सिवा और कोई चारा नहीं है। हर चुनाव की भांति इस बार भी एसयूसीआई (सी) ने जनजीवन की विभिन्न मांगों के लिए आन्दोलन का संकल्प लेकर ही चुनावी संघर्ष में भाग लिया था। पार्टी आने वाले दिनों में भी लोगों से अपनी जायज मांगें हासिल करने के लिए और सरकार की जनविरोधी नीतियों को लागू होने से रोकने के लिए इस आन्दोलन में शामिल होने की अपील कर रही है। ●

रसोई गैस सिलेंडरों की कीमतों में की गई भारी बढ़ोतरी का विरोध

मध्य प्रदेश।

एलपीजी की कीमतों में की गई भारी मूल्यवृद्धि के खिलाफ सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कम्युनिस्ट) ने 2 मई को ग्वालियर, गुना, अशोकनगर और भोपाल सहित कई जिलों में विरोध प्रदर्शन कर रोष जताया।

गुना

कोलकाता, पश्चिम बंगाल

अगरतला, त्रिपुरा

गुना में पार्टी जिला सचिव कॉमरेड मनीष श्रीवास्तव ने कहा कि जैसे ही 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव समाप्त हुए, केन्द्र की भाजपा सरकार ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 993 रुपये की भारी वृद्धि कर दी, जो एक महीने पहले 2,078.50 रुपये थी, अब बढ़कर रिकॉर्ड 3,071.50 रुपये हो गयी है। वहीं 5 किलो के एलपीजी सिलेंडर पर 261 रुपये की वृद्धि की गयी है। यह भारी वृद्धि घरों, रेस्तरां, ढाबों और अन्य व्यवसायों पर बुरा प्रभाव डालेगी और इसका बोझ अंततः उपभोक्ताओं पर पड़ेगा, जिससे बाहर खाना और फूड डिलीवरी और अधिक महंगी हो जाएगी।

भोपाल में पार्टी जिला सचिव कॉमरेड मुदित भटनागर ने कहा कि अब आशंका है कि पेट्रोल-डीजल की खुदरा कीमतों में भी जल्द ही भारी वृद्धि हो सकती है। अगर ऐसा हुआ, तो महंगाई और अधिक बढ़ जाएगी और इससे जनजीवन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि अमेरिकी साम्राज्यवादियों के दबाव के आगे झुकते हुए भाजपा-नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार ने रूस और ईरान से सस्ता तेल आयात करना बंद कर दिया है और अब उसे अमेरिका से अधिक कीमत पर तेल खरीदना पड़ रहा है।

अशोकनगर में जिला सचिव कॉमरेड सचिन जैन ने रसोई गैस की कीमतों में इस बेतहाशा बढ़ोतरी का कड़ा विरोध करते हुए दुःखी जनता से एकजुट होकर इसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने का आह्वान किया ताकि सरकार को मजबूर किया जा सके कि वह इस मूल्य वृद्धि को तुरंत वापस ले और पूंजीवादी संकट का बोझ शोषित जनता पर डालने की नीति को समाप्त करे।

एलपीजी गैस सिलेंडर व बिजली के रेट बढ़ने के खिलाफ एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) पार्टी द्वारा 3 मई को ग्वालियर में फूल बाग चौराहे पर प्रदर्शन किया गया।

प्रदर्शन को पार्टी की जिला सचिव कॉमरेड रचना अग्रवाल ने सम्बोधित किया।

ग्वालियर

लेबर कोड नियमों का ...

(पृष्ठ 1 का शेष)

बोकारो

भोपाल

भागलपुर

एसयूसीआई (सी) ने सौंपा ज्ञापन

बुडलाढ़ा, पंजाब।

जनजीवन की ज्वलंत समस्याओं को लेकर एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के एक प्रतिनिधिमंडल ने यहां 15 मई को एसडीएम, बुडलाढ़ा को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पार्टी के राज्य प्रभारी कॉमरेड अमिन्दरपाल सिंह ने किया।

रेप पीड़िता को इन्साफ देने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा

रायपुर (छत्तीसगढ़) : ग्राम खोला (अभनपुर) जिला रायपुर में 4 साल की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म की घटना के खिलाफ छात्र संगठन एआईडीएसओ, महिला संगठन एआईएमएसएस और युवा संगठन एआईडीवाईओ ने पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए 4 मई को अभनपुर बस स्टॉप में प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम अभनपुर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा।

उपायुक्त कार्यालय पर छात्र प्रदर्शन

बोकारो, झारखंड।

नियमित छात्रवृत्ति का भुगतान करने, शिक्षकों की बहाली-नियुक्ति करने, चंदनकियारी और चंदपुरा प्रखंड में सरकारी डिग्री कॉलेज खोलने, सत्र नियमित करने आदि मांगों को लेकर 2 मई को ऑल इण्डिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन (एआईडीएसओ)ने बोकारो जिला उपायुक्त कार्यालय पर छात्र प्रदर्शन आयोजित किया।

मानवाधिकारों, नागरिक अधिकारों व अन्य जनवादी अधिकारों को बचाने के लिए कन्वेंशन का आयोजन

अलवर, राजस्थान।

सेन्टर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स एण्ड सेक्युलरिज्म (सीपीडीआरएस) अलवर के तत्वावधान में मानवाधिकारों, नागरिक अधिकारों तथा हर तरह के जनवादी अधिकारों की रक्षा के लिए चेत राम की अध्यक्षता में 10 मई को यहां पंचशील बुद्ध विहार में एक कन्वेंशन आयोजित किया गया।

कार्यक्रम की शुरुआत में गीत प्रस्तुत किये गए।

प्राथमिक वक्तव्य में शौकत अली ने आज के समय में सीपीडीआरएस की जरूरत और इसके उद्देश्यों पर संक्षिप्त चर्चा की। इसके बाद रामस्वरूप सैनी द्वारा मुख्य प्रस्ताव पेश किया गया। इसमें देश की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति के अधोपतन व नागरिक अधिकारों में कटौती और जनतांत्रिक संस्थाओं की स्वायत्तता पर हो रहे हमलों के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए धर्मनिरपेक्षता एवं लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने का संकल्प लिया गया।

मुख्य प्रस्ताव के समर्थन में एडवोकेट अशोक शर्मा ने अपनी बात रखी। एसआईआर पर प्रस्ताव प्रोफेसर एस. एस. भाटी ने पेश किया। इसके समर्थन में शौकत अली ने अपनी बात रखी। अरावली पर्वतमाला पर एक प्रस्ताव गोविंद सिंह ने पेश किया। वीरेंद्र क्रांतिकारी और एच. के. खरे ने अपनी बात रखते हुए इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इसके बाद कन्वेंशन में तीनों प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किये गये। कन्वेंशन में सीपीडीआरएस की 18 सदस्यीय अलवर जिला कमेटी का प्रस्ताव सुरेंद्र सैनी ने पेश किया और इसका समर्थन प्रोफेसर एस. एस. भाटी ने किया। इसके बाद सीपीडीआरएस की अखिल भारतीय कमेटी के उपाध्यक्ष व कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्राण शर्मा द्वारा सीपीडीआरएस के उद्देश्यों व कार्यकलापों पर विस्तार से चर्चा की गई।

मुख्य वक्ता ने बताया कि यूरोप में सामंतवाद के खिलाफ कोपर्निकस, ब्रुनो और गैलीलियो जैसे लोगों ने सत्य को खोजने और लोगों के सामने लाने के लिए संघर्ष किया। भारत में भी नेताजी सुभाष बोस और भगतसिंह ने यही काम किया, लेकिन आज पूरी दुनिया की तरह भारत में भी सरकारें जनता से वादाखिलाफी कर रही हैं और इसके खिलाफ बोलने पर राष्ट्रविरोधी घोषित किया जाता है। उन्होंने सीपीडीआरएस को मजबूत करने की अपील की।

कन्वेंशन के मुख्य वक्ता प्राण शर्मा

मई दिवस पर देशभर में मजदूरों की सभाएं व जुलूस आयोजित

बिहार।

मई दिवस के मौके पर ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर (एआईयूटीयूसी) द्वारा पटना में नाला रोड स्थित राज्य कार्यालय पर झंडोत्तोलन किया गया तथा मई दिवस पर चर्चा आयोजित की गयी। सबसे पहले उपस्थित साथियों को मई दिवस का बैज पहनाया गया।

इस मौके पर एआईयूटीयूसी के बिहार राज्य कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष कॉमरेड एम के पाठक ने वर्तमान समय में मई दिवस के महत्व पर चर्चा की। चर्चा के क्रम में उन्होंने बताया कि देश और दुनिया में संकट बढ़ रहे हैं। बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है। मजदूरों के हक-अधिकार छीने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में मजदूर आंदोलन को तेज करने की जरूरत है।

वहीं एआईयूटीयूसी के बिहार राज्य सचिव कॉमरेड सूर्यकर जितेंद्र ने कहा कि एक तरफ मजदूरों पर तरह-तरह से हमले हो रहे हैं। न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है, कार्य स्थलों पर बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। काम के घंटे बढ़ाये जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर केन्द्रीय सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों द्वारा मजदूर-विरोधी लेबर कोड लागू किये जा रहे हैं। इन सारे सवालों को लेकर मजदूरों का गुस्सा भड़क रहा है। इसका जीता-जागता उदाहरण है गुड़गांव और नोएडा। गुड़गांव और नोएडा के औद्योगिक क्षेत्रों के मजदूर सड़कों पर उतर आये हैं। मजदूरों के उन जायज आंदोलनों को कुचलने के उद्देश्य से मजदूरों के आंदोलन पर उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दमनात्मक कार्रवाई की गई। वे वेतन वृद्धि और अन्य बुनियादी सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। वे काम के बढ़े हुए घंटों का विरोध कर रहे हैं। ऐसे समय में हम मई दिवस मना रहे हैं। मजदूरों और मजदूर संगठनों को मई दिवस के संघर्षों से सीख लेकर एकताबद्ध, लगातार और जुझारू आंदोलन तीव्र करने की जरूरत है। कार्यक्रम का संचालन एआईयूटीयूसी के बिहार राज्य कार्यकारिणी सदस्य कॉमरेड अनामिका कुमारी ने किया।

मई दिवस के मौके पर सुबह कंस्ट्रक्शन वर्करों की सभा की गई। मई दिवस का संदेश देते हुए केन्द्रीय श्रमिक संगठनों के राज्य स्तरीय संयुक्त मंच द्वारा निकाले गये जुलूस में भी एआईयूटीयूसी ने शिरकत की। इसमें एआईयूटीयूसी के अलावा इंटक, एटक, सीटू, ऐक्टू और यूटीयूसी के नेता-कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया।

महाराष्ट्र।

मई दिवस सह महाराष्ट्र दिवस पर व्याख्याता और हमारे कॉमरेड दत्तू जी काजले ने 1 मई को अपने कॉलेज केईएस श्रॉफ कॉलेज, कांदिवली (पश्चिम) मुंबई के शिक्षकों और छात्रों के लिए मई दिवस के इतिहास और महत्व पर अपने विचार रखे।

दिल्ली।

ऐतिहासिक मई दिवस के मौके पर ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच द्वारा एक संयुक्त जुलूस निकाला गया, जो रामलीला मैदान से दिल्ली के टाउन हॉल पहुंचकर सभा में बदल गया।

सभा को एआईयूटीसी के कॉमरेड रमेश पराशर ने संबोधित किया, जबकि कॉमरेड सतीश पवार अध्यक्षमंडल में थे।

हरियाणा।

हरियाणा में एआईयूटीयूसी की ओर से गुरुग्राम, भिवानी, सोनीपत, रेवाड़ी, समालखा (पानीपत), बहादुरगढ़ (झज्जर) आदि विभिन्न जगहों पर मई दिवस मनाया गया। गुड़गांव में मई दिवस के अवसर पर एआईयूटीयूसी के राज्य अध्यक्ष कॉमरेड राजेंद्र सिंह ने सभा को संबोधित किया। इसका आयोजन ट्रेड यूनियन काउंसिल, गुड़गांव ने किया, जिसमें विभिन्न केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों व स्वतंत्र यूनियनों के हजारों मजदूरों ने हिस्सा लिया।

ऐतिहासिक मई दिवस पर सोनीपत में 1 मई को एआईयूटीयूसी सहित केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों व कर्मचारी फेडरेशनों की ओर से नगर निगम कार्यालय में सभा की गई।

अपनी जायज मांगों को लेकर पिछले 28 दिन से हड़ताल पर बैठे दमकल कर्मचारियों के समर्थन में नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा द्वारा दो दिन की राज्यव्यापी हड़ताल का भी ट्रेड यूनियनों की समन्वय समिति ने समर्थन किया।

वक्ताओं ने 8 घंटे के कार्य दिवस की मांग को लेकर 1886 में अमेरिका के शिकागों में हुए मई दिवस के संघर्ष के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इसकी आज भी प्रासंगिता है, क्योंकि हमारे देश की भाजपा सरकार ने चार लेबर कोड लाकर 12 घंटे की ड्यूटी करने का कानून बना दिया है। महिलाओं को रात में ड्यूटी करनी पड़ेगी। न्यूनतम वेतन की जगह फ्लोर वेज लाकर मजदूरों पर नया हमला बोला है। प्रांत में आंदोलन के चलते मामूली न्यूनतम वेतन बढ़ाया गया है और वह भी ज्यादातर उद्योगों में नहीं दिया जा रहा है। इस महंगाई के जमाने में कम से कम 30000 रुपये न्यूनतम वेतन होना चाहिए। वक्ताओं ने अपनी बात रखते हुए कहा कि सरकार चंद पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है।

सभा में अन्य केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के नेताओं के अलावा एआईयूटीयूसी के कॉमरेड बलबीर सिंह व कॉमरेड बलवान सिंह तथा एआईकेकेएमएस के जिला उपाध्यक्ष कॉमरेड ईश्वर सिंह दहिया ने भी अपनी बात रखी। वक्ताओं ने कहा कि सरकार की इन पूंजीपति परस्त नीतियों के खिलाफ आंदोलन तेज करके अपने अधिकारों को हासिल करना होगा, यही एकमात्र रास्ता है।

सभा का संचालन एआईयूटीयूसी के राज्य उपाध्यक्ष कॉमरेड ईश्वर सिंह राठी ने किया। इसके बाद नगर निगम से जोरदार नारे लगाते हुए गीता भवन चौक और बस अड्डे पर जाकर जुलूस का समापन किया गया। इसमें ब्रह्म सिंह दहिया, इंदर सिंह, छवि, सुरेंद्र सिंह आदि अनेक साथियों ने भाग लिया।

गुरुग्राम : 1 मई को सभा को संबोधित करते हुए एआईयूटीयूसी के हरियाणा राज्य अध्यक्ष कॉमरेड राजेन्द्र सिंह

मध्य प्रदेश।

1 मई–अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर ट्रेड यूनियन एआईयूटीयूसी और मेहनतकश वर्ग की क्रांतिकारी पार्टी एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) द्वारा कहीं संयुक्त रूप से अन्य केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के साथ और कहीं अकेले अपने दम पर प्रदेश के भोपाल, गुना, ग्वालियर अशोकनगर, सागर, देवास, इंदौर आदि विभिन्न जिलों में कार्यक्रम किये गये। पहली मई को ग्वालियर में बाड़ा और हजीरा चौराहे पर कार्यक्रम किये गए।

बहुफसली कृषि भूमि अधिग्रहण के खिलाफ एआईकेकेएमएस का जोरदार धरना

किसानों की जमीन पर हमला किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं

मड़वन, मुजफ्फरपुर (बिहार) : ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप, औद्योगीकरण एवं ग्रीन फील्ड कॉरिडोर के नाम पर बहुफसली कृषि भूमि अधिग्रहण तथा जमीन की खरीद-बिक्री, हस्तांतरण और मकान निर्माण पर लगाये गये प्रतिबंध के विरोध में ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन (एआईकेकेएमएस) की मड़वन प्रखंड कमेटी के नेतृत्व में 8 मई को मड़वन प्रखंड कार्यालय पर धरना-प्रदर्शन आयोजित किया गया। धरने से पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मड़वन से जुलूस निकाला गया, जो प्रखंड कार्यालय पहुंचकर सभा में बदल गया।

सभा को संबोधित करते हुए एआईकेकेएमएस के जिला सचिव कॉमरेड लाल बाबू राय ने कहा कि मड़वन, कांटी, कुढ़नी, मुसहरी और बोचहां सहित विभिन्न क्षेत्रों में किसानों की उपजाऊ जमीन को अधिग्रहित करने की तैयारी तथा जमीन पर लगाये गये प्रतिबंध से किसानों, खेत मजदूरों और अन्य ग्रामीणों में भारी आक्रोश है।

उन्होंने कहा कि कृषि केवल जमीन नहीं, बल्कि लाखों लोगों की रोजी-रोटी का आधार है। बिना जनसहमति किसानों की जमीन छीनने की कोशिश ग्रामीण समाज पर सीधा हमला है।

प्रखंड अध्यक्ष कॉमरेड तारकेश्वर गिरी ने मांग की कि बहुफसली कृषि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगायी जाए, जमीन की खरीद-बिक्री एवं निर्माण पर लगाये गए प्रतिबंध हटाये जाएं, भूमि अधिग्रहण से पूर्व ग्रामसभा की सहमति अनिवार्य की जाए तथा बियाडा एवं उद्योगों के लिए पूर्व में ली गई जमीनों का ब्यौरा सार्वजनिक किया जाए।

सभा की अध्यक्षता करते हुए सचिव कॉमरेड विपिन ठाकुर ने कहा कि मांगें पूरी नहीं होने तक चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा।

धरने को कॉमरेड कुमोद राम, कॉमरेड विनय साह, कॉमरेड शिव चंद्र पासवान, कॉमरेड राम बाबू राय, कॉमरेड पुनदेव राय, कॉमरेड लाल बाबू अंसारी, कॉमरेड मोहम्मद कलाम सहित कई वक्ताओं ने संबोधित किया।

सफाई कर्मियों की जायज मांगों का एआईयूटीयूसी ने किया समर्थन

तोशाम, भिवानी, हरियाणा।

एआईयूटीयूसी के राज्य अध्यक्ष कॉमरेड राजेन्द्र सिंह ने यहां पंचायत घर पर बैठे हड़ताली सफाई कर्मियों के बीच पहुंचकर उन्हें समर्थन दिया और उनकी वेतन संबंधी जायज मांगों को मानने की सरकार से मांग की। उन्होंने कहा कि आसमान छूती महंगाई में तमाम आवश्यक चीजों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, परंतु हरियाणा प्रदेश में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को फिलहाल मामूली-सा वेतन मिलता है, जिसमें उनका गुजारा नहीं होता है। उन्होंने सरकार से मांग की कि सफाई कर्मियों को हरियाणा सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम वेतन दिया जाये, हालांकि वह भी जीवन जीने के लिए नाकाफी है। सफाई कर्मियों की मांगें जायज हैं। उन्होंने सरकार से उन्हें मान लेने की मांग की। एआईकेकेएमएस के जिला प्रधान कॉमरेड रोहतास सिंह सैनी ने भी सफाई कर्मियों के आन्दोलन को पूर्ण समर्थन दिया।

PRGI Regn. No. 43022

भाजपा शासन की वास्तविकता

आर्थिक मंदी

1. 2026 की शुरुआत में ही, भारतीय अर्थव्यवस्था की मिली-जुली तस्वीर दिखा रही है; जहां एक तरफ सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 6.4%-7.4% की मजबूत बढ़त का अनुमान है, वहीं दूसरी ओर, ठीक उलट, रोजगार के भयावह संकट, आय में भारी असमानता और ग्रामीण इलाकों में कम होती खपत जैसी कई बहुत ही बड़ी चुनौतियां भी हैं। जहां कुछ व्यावसायिक क्षेत्र अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरे तनाव में हैं, जैसे कि कमजोर आईटी क्षेत्र और राज्यों पर बढ़ता कर्ज।

2. **विकास बनाम नौकरीविहीन विकास:** जहां एक तरफ जीडीपी में लगभग 7.4% की बढ़त के साथ 2026 में भारत के सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने का अनुमान है, वहीं इसे अक्सर "नौकरीविहीन विकास" परिभाषित किया जाता है। मजदूर बाजार में बेरोजगारी और कम रोजगार की समस्या बहुत ज्यादा है; आईटी सेक्टर में तो नई भर्तियां लगभग रुक-सी गई हैं, 2025 की शुरुआत में इस सेक्टर में सिर्फ 17 नई नौकरियां ही मिलीं।

3. **आय में असमानता और खपत:** कुछ विवरणों के अनुसार, विलासिता के सामानों की बिक्री के आम लोगों के इस्तेमाल वाले सामानों की तुलना में ज्यादा तेजी से बढ़ने के साथ धन-संपत्ति में असमानता पिछले सौ सालों के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। ग्रामीण इलाकों में लोगों की बुनियादी जरूरतों की खपत में कई बार भारी गिरावट देखने को मिली है।

4. देश में 248 अरबपति हो गए हैं (2025 की विवरण के अनुसार), जिनकी कुल संपत्ति लगभग 98 लाख करोड़ रुपये है (यानी देश की जीडीपी का एक-तिहाई हिस्सा)।

5. भारत की कुल आबादी के सबसे अमीर 10% लोगों के पास देश की कुल आय का 57% हिस्सा है।

6. ऑक्सफैम के विवरणों से उजागर होता है कि भारत में असमानता अपने चरम स्तर पर पहुंच गई है; देश की कुल संपत्ति का 40% से ज्यादा हिस्सा ऊपरी तबके के 1% लोगों के पास है, जबकि निचले तबके के 50% लोगों के पास सिर्फ 3% हिस्सा ही है।

7. देश की निचली 50% आबादी कुल वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का 64% हिस्सा चुकाती है, जबकि सबसे ऊपरी 10% लोग सिर्फ 4% हिस्सा ही देते हैं।

भारतीय उद्योगपतियों की कुल संपत्ति (नेटवर्थ)

8. गौतम अडानी—कुल 56.3 अरब डॉलर (रुपये 52,15,37,86,50,000 या 5.12 लाख करोड़) की संपत्ति के साथ भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं और दुनियाभर में 31वें स्थान पर हैं।

9. मुकेश अंबानी—अप्रैल 2026 तक मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति लगभग 99.7 अरब डॉलर से बढ़कर 100 से भी ज्यादा अरब डॉलर (9.28 लाख करोड़ रुपये) होने का अनुमान है, जिससे वे भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति के तौर पर अपनी जगह बनाये हुए हैं।

10. विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) में स्थित रिलायंस जामनगर रिफाइनरी को पिछले हफ्ते डीजल और विमानन टर्बाइन ईंधन (एटीएफ) के निर्यात पर लगाये गए कर से मुक्त रखा जायेगा, ... सरकार ने 26 मार्च से डीजल पर 21.50 रुपये प्रति लीटर और एटीएफ पर 29.50 रुपये प्रति लीटर का निर्यात कर फिर से लागू कर दिया है, जबकि पेट्रोल के निर्यात को छूट दी गई है। यह कदम पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती के साथ उठाया गया ताकि सरकारी तेल कंपनियों को कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से बचाया जा सके... ये निर्यात कर डीजल पर 36 डॉलर प्रति बैरल और एटीएफ पर 50 डॉलर प्रति बैरल के बराबर हैं। (द टेलीग्राफ-03-04-26)

11. फरवरी महीने में उच्चतम न्यायालय में जमा की गई एक स्थिति-विवरण (स्टेटस रिपोर्ट) के अनुसार, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) रिलायंस अनिल अंबानी समूह के खिलाफ दर्ज सात मामलों में कुल 73,000 करोड़ रुपये के बैंक ऋण घोटालों की जांच कर रही है। सीबीआई की जांच का जिक्र करते हुए उच्चतम न्यायालय के आदेश में कहा गया, "... दूसरे मामलों में भी नुकसान कई हजार करोड़ का है, जिसका कुल दावा लगभग 73,006 करोड़ रुपये का बनता है।" प्रवर्तन निदेशालय (एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट, ईडी) का विवरण देखने के बाद उच्चतम न्यायालय ने कहा, "विवरण के अनुसार दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (इनसोलवेन्सी एंड बैंक्रपसी कोड, आईबीसी) के तहत अधिग्रहण के लिए सारा वित्तपोषण आठ अ-कोषीय वित्तीय कंपनियों (नोन-बैंकिंग फाइनेंशियनल कंपनियों (एनबीएफसी) के एक समूह के जरिये की गई थी। ... यह बात ध्यान देने लायक है कि लगभग 2,983 करोड़ रुपये के कुल दावों का निपटारा 26 करोड़ रुपये में किया गया।" (द हिंदू 08-04-26)। यह याद किया जा सकता है कि 2016 में राफेल लड़ाकू विमान सौदे को अंतिम रूप देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस दौरे के दौरान उनके साथ सिर्फ अनिल अंबानी ही थे। जब फ्रांस में प्रधानमंत्री मोदी और तत्कालीन फ्रांसीसी राष्ट्रपति होलांद के बीच एक बंद कमरे में हुई बैठक में यह डील पक्की हुई, तो फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने खुले तौर पर यह ऐलान किया कि भारत सरकार ने डसॉल्ट के लिए ऑफसेट पार्टनर यानी समायोजी भागीदार के तौर पर अनिल अंबानी का नाम प्रस्तावित किया था, जिसके चलते फ्रांसीसी सरकार के पास कोई और विकल्प नहीं बचा था। अनिल अंबानी के साथ डसॉल्ट समझौते पर दस्तखत किये जाने के समय उनके द्वारा चलायी जा रही लगभग सभी कंपनियां भारी कर्ज में डूबी हुई थीं और अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस एयरोस्ट्रक्चर के पास अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और रक्षा उपकरण बनाने का न तो कोई पिछला अनुभव था और न ही कोई विशेषज्ञता।

गरीबी

12. पिछले पांच वर्षों में अतीव गरीबी लगातार उच्चांक पर बनी रही है। (यह एक ऐसी स्थिति को दर्शाता है, जिसमें व्यक्ति या परिवार जीवित रहने के लिए पर्याप्त भोजन, कपड़े, रहने की जगह और स्वास्थ्य सेवाएं जैसी अत्यावश्यक न्यूनतम बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाते।)

13. अगर कोई गरीबी के गुणागणित के लिए इस्तेमाल की गई पद्धति और मौलिक आंकड़ों को देखे, तो गरीबी से 25 करोड़ लोगों को बाहर निकालने का बड़ा दावा (बजट भाषण 2026) एक धोखा है। अगर गरीबी कम हुई है, तो सरकार 80 करोड़ भारतीयों को मुफ्त राशन क्यों दे रही है?

बेरोजगारी

14. हाल के वर्षों में भारत में बेरोजगारी की दर 6%-8% के बीच ऊपर-नीचे होती रही है (आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पिरयोडिक लेबर फोर्स सर्वे, पीएलएफएस)), लेकिन इससे भी बड़ी समस्या अनौपचारिक रोजगार है, जहां लगभग 90% श्रमिक कम वेतन वाली असुरक्षित नौकरियों में लगे हुए हैं। युवाओं में बेरोजगारी की दर अभी भी काफी ज्यादा है, खासकर पढ़े-लिखे युवाओं में; 18% से ज्यादा शहरी युवा बेरोजगार हैं (पीएलएफएस 2023)।

15. भारत में कृषि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर 'प्रच्छन्न बेरोजगारी' (छिपी हुई बेरोजगारी) की समस्या है, जहां जरूरत से कहीं ज्यादा श्रमिक मिलकर सीमित कृषि उत्पादन करते हैं, जिससे ग्रामीण मजदूरी कम बनी रहती है और गरीबी का दुष्चक्र चलता रहता है।

16. श्रम बाजार में 'अल्प-रोजगार' (अंडर-एम्प्लायमेंट) और अनौपचारिक काम का ही बोलबाला है; लगभग 92% श्रमिक अनौपचारिक नौकरियों में लगे हैं, जिन्हें अक्सर न्यूनतम मजदूरी से भी कम वेतन मिलता है और उनकी नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती।

बंद होते उद्योग

17. दिसंबर 2025 में भारत सरकार द्वारा लोकसभा में पेश किये गए आंकड़ों के अनुसार पिछले पांच वित्तीय वर्षों (वित्तीय वर्ष 2021 से वित्तीय वर्ष 2025 तक) के दौरान भारत में 2.04 लाख (2,04,268) से ज्यादा निजी कंपनियां बंद हो गईं।

नौकरियों का नुकसान

18. विनिवेश के कारण केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) में नियमित कर्मचारियों की संख्या पांच वर्षों में 1.08 लाख कम हो गई (2019-20 में 9.2 लाख से घटकर 2023-24 में 8.12 लाख रह गई)।

19. केन्द्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा जारी 2021-22 और 2022-23 के लिए 'असंगठित उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण' (एएसयूएसईक) के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत के लगभग आधे राज्यों और तीन केन्द्र शासित प्रदेशों में पिछले सात वर्षों के दौरान अनौपचारिक क्षेत्र में नौकरियों का नुकसान हुआ है।

20. नोटबंदी, जीएसटी और कोविड-19 के झटकों के कारण भारत के लिए अनौपचारिक क्षेत्र की 1.6 करोड़ नौकरियां खत्म हो गईं। 2022-23 में अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की संख्या 16.45 लाख या लगभग 1.5 प्रतिशत घटकर 10.96 करोड़ रह गई है, जबकि 2015-16 में घटने वाली यह संख्या 11.13 लाख थी।

धीमी पड़ रही है औद्योगिक विकास की गति

21. **बुनियादी ढांचा और विनिर्माण:** व्यापक निवेश के बावजूद, बुनियादी ढांचों में फर्क अभी भी एक अवरोधक के रूप में काम कर रहा है। विनिर्माण क्षेत्र का विकास लगातार नीचे की तरफ जा रहा है और सूचना तकनीकि उद्योग (आईटी इंडस्ट्री) जैसे कुछ क्षेत्रों में उम्मीद से कम प्रदर्शन देखने को मिला है। भारत का विनिर्माण क्षेत्र कई विशिष्ट ढांचागत चुनौतियों का सामना कर रहा है; जून 2025 में इसकी विकास दर धीमी होकर 10 महीने के सबसे निचले स्तर 1. 5% पर पहुंच गई और दिसंबर 2025 में क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) दो साल के सबसे निचले स्तर पर आ गया। इसकी मुख्य वजह कमजोर मांग और उत्पादन में आने वाली लागत का ज्यादा होना है।

कृषि

22. कृषि—इस क्षेत्र का पूरी तरह से निजीकरण करने की दिशा में कदम उठाये जा रहे हैं। इससे पहले, कृषि उपज विपणन समिति (एपीएमसी) अधिनियम में संशोधन करके कृषि उत्पादों की पूरी खरीद और विपणन का काम निजी संचालकों को सौंप दिया गया था। अब, एक नया 'बीज अधिनियम' बनाये जाने के बाद कृषि में इस्तेमाल होने वाली सभी चीजों (बीज, खाद, कीटनाशक) के उत्पादन का पूरा क्षेत्र अब बहुराष्ट्रीय कंपनियों (एमएनसी) के नियंत्रण में चला जाएगा।

23. उन तीन 'काले कृषि कानूनों' को, जिनके खिलाफ किसानों ने बड़ी बहादुरी से संघर्ष किया था, अब पिछले दरवाजे से वापस लाने की कोशिशें की जा रही हैं।

24. भारत में हर दिन 48 किसान/खेतिहर मजदूर आत्महत्या कर लेते हैं। 16 वर्षों के दौरान इसका औसत लगभग 16,500 किसानों की वार्षिक आत्महत्याओं के बराबर रहा है। इस संकट की मुख्य वजह कर्ज का बोझ, फसलों का खराब होना, खेती की लागत का बहुत ज्यादा होना और इन्सानों द्वारा पैदा किया गया जलवायु परिवर्तन है।

किसानों के बकाया बैंक ऋण

25. मार्च 2024 तक कुछ खास राज्यों (पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़) से प्राप्त आंकड़ों से पता चलता है कि 85 लाख से ज्यादा किसानों पर अलग-अलग संस्थानों का 2.19 लाख करोड़ रुपये का बकाया ऋण था।

रक्षा खर्च

26. बजट 2026-27 में, भारत का रक्षा खर्च बढ़ाकर 7.85 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो सभी मंत्रालयों में सबसे ज्यादा है।

राजकीय सहायता (सब्सिडी) में कटौती

27. बजट 2026 में भोजन, खाद और ईंधन पर दी जाने वाली राजकीय सहायता (सब्सिडी) में 4.47% की कटौती की गई।

बड़े औद्योगिक निगमों (कॉर्पोरेट्स) के ऋण माफ

28. भाजपा-नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार, जिसने 100 बहुत बड़े निगमों (ज्यादातर गुजरात के) के 16.50 लाख करोड़ रुपये के लोन माफ कर दिये थे, ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (अब जी राम जी) के तहत काम पर रखे गए मजदूरों की मजदूरी का भुगतान करने से इनकार करके दिखा दिया है कि यह कितनी बेरहम है।

29. रिलायंस कम्युनिकेशन्स और उसकी सहायक कंपनियों पर कुल 47,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज था, जो उन्हें 53 वित्तीय लेनदारों (स्थानीय और विदेशी बैंकों) को चुकाना था। राष्ट्रीय व्यापारिक-संघ विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने उन योजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें लेनदारों ने लगभग 455.92 करोड़ रुपये से लेकर 4,400 करोड़ रुपये तक का समझौता स्वीकार कर लिया (यह राशि अलग-अलग सहायक व्यापारिक-संघों, खासकर रिलायंस कम्युनिकेशन्स (आरकॉम) या रिलायंस इनफ्राटेल के हिसाब से अलग-अलग थी)। बैंकों को लगभग 46,545 करोड़ रुपये का ऋण माफ करना पड़ा।

30. **भाजपा शासन के पिछले 5 सालों में अंबानी और अडानी की संपत्ति में बढ़ोतरी:** गैर-लाभकारी संगठन 'वित्तीय जवाबदेही केन्द्र (सेंटर फॉर फाइनेन्शियल एकाउंटेबिलिटी)' और 'अत्यधिक अमीर लोगों की संपत्ति पर अधिक कर अभियान' द्वारा जारी 'वेल्थ ट्रैकर इण्डिया 2026' नामक एक अध्ययन में बताया गया है कि भारत के पांच सबसे अमीर परिवारों की संपत्ति 2019 से 2025 के बीच 400% बढ़ गई। इसमें यह भी बताया गया कि देश के 1,688 सबसे ज्यादा अमीरों पर अगर प्रगतिशील संपत्ति कर लगाया जाए, तो उससे जनकल्याण के कामों के लिए 10 लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा की रकम जुटाई जा सकती है।(scroll.in 02-04-26)

इस अध्ययन में बताया गया है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमुख, मुकेश अंबानी की दौलत 2019 से 2025 के बीच 153% बढ़ गई। अगर इस दौरान उनसे 2% संपत्ति कर वसूला गया होता, तो उससे इतने संसाधन जमा हो जाते कि 10वीं कक्षा के सभी छात्रों को तीन साल तक मुफ्त लैपटॉप दिये जा सकते थे।

अध्ययन में यह भी बताया गया कि इसी दौरान अडानी समूह के प्रमुख गौतम अडानी की दौलत 625% बढ़ गई; इसमें आगे कहा गया है कि उनकी दौलत पर 2% टैक्स लगाने से पूरे देश के लिए दो साल तक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का खर्च उठाया जा सकता है। इससे

(शेष पृष्ठ 7 पर)

भाजपा शासन की वास्तविकता ..

(पृष्ठ 6 का शेष)

प्रदूषण से सबसे ज्यादा प्रभावित लगभग 8 करोड़ परिवारों को मुफ्त 'वायु शोधक (एयर प्युरीफायर)' भी दिये जा सकते हैं।

उक्त अध्ययन में ही बताया गया है कि देश की कुल धन-दौलत में सबसे नीचे के 50% लोगों का हिस्सा 2024 तक 6.4% पर ही अटका रहा। पिछले 11 सालों में भाजपा सरकार ने विशालकाय एकाधिकारी वित्तीय घरानों का 19.6 लाख करोड़ रुपये का टैक्स माफ कर दिया है।

31. 2025 के मध्य तक मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) ने कुल लगभग 3.50 लाख करोड़ रुपये (350,453 करोड़ डॉलर) का सकल कर्ज और लगभग 1.17 लाख करोड़ रुपये का समेकित शुद्ध कर्ज होने की जानकारी दी। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 2.98 अरब डॉलर के बराबर ऋण लिया है; यह पिछले एक साल से भी ज्यादा समय में किसी भारतीय कंपनी द्वारा लिया गया इस तरह का सबसे बड़ा ऋण है।

महिलाओं के खिलाफ अपराध

32. पिछले कुछ सालों के उपलब्ध राष्ट्रीय अपराध अभिलेख विभाग (एनसीआरबी) के आंकड़ों के आधार पर भारत में बलात्कार के ब्यौरे इस प्रकार थे: 33,356 (2018), 32,033 (2019), 28,046 (2020), 31,677 (2021)और 31,000 (2023)। ये आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि रोजाना औसतन लगभग 86 मामले सामने आते हैं, जिनमें से लगभग 89% मामलों में वे कुकर्मी पीड़िता के जान-पहचान वाले लोग ही होते हैं।

33. 16 साल से पार की उम्र की हर 4 में से 1 महिला के साथ बलात्कार या यौन उत्पीड़न हुआ है।

34. राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश–इन तीनों भाजपा-शासित राज्यों में बलात्कार के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किये गये हैं।

35. 2023 में दहेज संबंधित मामलों में 14% की बढ़ोतरी हुई; 6,100 से ज्यादा महिलाओं की हत्या हुई: एनसीआरबी। उत्तर प्रदेश 2,122 मौतों के साथ फिर से इस सूची में सबसे ऊपर रहा, जिसके बाद बिहार 1,143 मौतों के साथ दूसरे स्थान पर रहा।

36. अनुमान के मुताबिक हर साल जन्म के समय लगभग 4.6 करोड़ बच्चियां लापता हो जाती हैं।

शिक्षा

37. पिछले दस सालों में 90,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गये हैं, जबकि 14% निजी स्कूल बढ़ गये हैं।

38. दिसंबर 2025 में संसद में पेश किये गए सरकारी आंकड़े के मुताबिक पिछले पांच साल (लगभग 2019-2024) में भारत में 65.7 लाख से ज्यादा छात्रों ने स्कूल छोड़ दिया। इनमें से लगभग 30 लाख किशोरवय की लड़कियां थीं। भाजपा-शासित गुजरात में स्कूल छोड़ने वालों की संख्या में 341% की बढ़ोतरी दर्ज करने के जरिये यह आंकड़ा छात्रों को विद्यालयों में बनाये रखने की व्यापक चुनौतियों को दर्शाता है।

39. एनसीआरबी की 'भारत में आकस्मिक मौतें और आत्महत्याएं' (एडीएसआई) विवरण के आंकड़ों के मुताबिक छात्रों की आत्महत्याओं में लगातार बढ़ोतरी हुई है और हाल के वर्षों में यह संख्या सालाना 13,000 से ज्यादा हो गई है। आंकड़ों से पता चलता है कि 2019 में यह संख्या 10,335 थी, जो 2022 में बढ़कर 13,000 से ज्यादा हो गई और 2023 में भी यही ऊंचा रुझान बना रहा।

40. बजट 2026-27 में कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के लिए 9.98 हजार करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो पिछले साल दिये गए 10.46 हजार करोड़ रुपये से कम है। यह लगभग 4.6 प्रतिशत की गिरावट को दिखाता है।

स्वास्थ्य सेवा

41. **चिकित्सक-मरीज के बिगड़ते रिश्ते:** चिकित्सकों और मरीजों के बीच भरोसा कम हो गया है; इसकी जगह शक, गुस्सा और पेशेवर स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं बढ़ गयी हैं। इसकी एक वजह यह सोच भी है कि चिकित्सा क्षेत्र का व्यापारीकरण हो गया है।

42. **सतत पहुंच से बाहर होता जा रहा अपनी जेब से होने वाला खर्च (ओओपीई):** 'आयुष्मान भारत' जैसी योजनाओं के बावजूद कई लोगों के लिए अपनी जेब से होने वाला खर्च अभी भी बहुत ज्यादा है, जिससे उन्हें आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। निगम-अस्पतालों की श्रृंखला को अभी भी अपनी 40% कमाई मरीजों द्वारा अपनी जेब से किये गए भुगतानों से होती है और निजी इलाज का खर्च सरकारी इलाज के खर्च से काफी ज्यादा होता है, जिससे गरीबों पर आर्थिक बोझ पड़ता है।

43. **विशेषज्ञों और कर्मचारियों की कमी:** ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचा विशेषज्ञों की भारी कमी से जूझ रहा है (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में शल्य-चिकिसकों, प्रसूति विशेषज्ञों और चिकित्सकों की 80% से ज्यादा की कमी है)।

44. **बुनियादी ढांचे और संसाधनों की कमी:** ग्रामीण इलाकों में जांच सुविधाओं, उचित साफ-सफाई और प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी का सामना करना पड़ता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था पर बोझ बहुत ज्यादा है, जिसके कारण कई इलाकों में मरीजों को लंबा इंतजार करना पड़ता है और इलाज की गुणवत्ता भी खराब होती है।

45. **कोविड-19 का जीवन प्रत्याशा (लाइफ एक्सपेक्टेंसी) पर असर:** भारत में जीवन प्रत्याशा 70 साल (2016-20) से घटकर 69.8 साल (2017-21) हो गई है; महामारी के कारण जीवन प्रत्याशा में लंबे समय से चली आ रही बढ़ोतरी का सिलसिला टूट गया है।

46. **गैर-संक्रामक बीमारियों (एनसीडी) में बढ़ोतरी:** जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों (जैसे डायबिटीज, दिल की बीमारियां) में अचानक बढ़ोतरी हुई है, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था पर बोझ बढ़ गया है और एनसीडी के लिए अस्पताल में भर्ती होने की दर भी बढ़ गई है।

47. **आंकड़ों की कमी और पारदर्शिता:** कई विवरणों में नीति-निर्माण के लिए सटीक, समय पर और पारदर्शी आंकड़ों की कमी की, खासकर कोविड-19 से होने वाली मौतों और आम स्वास्थ्य से जुड़े आंकड़ों के मामले में आलोचना की गई है।

48. **पारिवारिक चिकित्सक की भूमिका का कमजोर होना:** बड़े शहरों में सामान्य चिकित्सकों (जनरल प्रेक्टिशनरों) की भूमिका कम होती जा रही है; कुछ इलाकों में उनकी जगह निगमित श्रृखलाओं (कारपोरेट चेनों) या कम योग्यता वाले चिकित्सकों ने ले ली है।

49. **दवाओं की कीमत:** थोक मूल्य सूचकांक (डब्लूपीआई) के आधार पर हर साल होने वाला संशोधन और उत्पादन लागत में बढ़ोतरी जैसी प्रमुख वजहों से पिछले पांच साल (2020-2025) में भारत में दवाओं की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। 2024 में कुछ खास दवाओं की कीमतों में 50% तक की बढ़ोतरी की गई।

50. भारत में निजी अस्पतालों की संख्या में 27% की बढ़ोतरी हुई है; 2019 में इनकी संख्या लगभग 30,000 थी, जो बढ़कर 2024 में 38,000 हो गई है। स्वास्थ्य बीमा, चिकित्सा/स्वास्थ्य पर्यटन और द्वितीय/तृतीय श्रेणी

मुनाफाखोर पूंजीवाद का नतीजा है मजदूरों की धड़ाधड़ हो रही छंटनी

बीस साल कड़ी मेहनत करने के बाद अगर किसी को 'बेरोजगार' घोषित कर दिया जाए, तो उसे कैसा लगेगा? सालों तक लगन से काम करने के बाद एक मजदूर को अचानक एक ईमेल मिला, जिसमें लिखा है कि उसकी नौकरी चली गई है और वह अगले दिन से काम पर नहीं आये। अगर वह दुख और हताशा-निराशा से पागल हो जाए या आत्महत्या कर ले, तो शायद यह खबर अखबार के किसी कोने में छप जाए, तो सत्ताधारी और विपक्षी दल वोट बाजार में उसके प्रति सहानुभूति दिखाने की होड़ में लग जाएं। लेकिन असलियत में, इस तरह की अनगिनत घटनाएं आज कई परिवारों को तबाह कर रही हैं। ये घटनाएं बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने, इलाज का खर्च वहन करने और माता-पिता को थोड़ा आराम देने के सपने को चकनाचूर कर रही हैं।

"20 साल से ज्यादा काम करने के बाद 1 अप्रैल की सुबह मुझे एक ईमेल मिला, जिसमें लिखा था कि अब मेरी नौकरी नहीं रही", अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी ओरेकल के एक भारतीय कर्मचारी ने बताया, जिनकी हाल ही में नौकरी चली गई। नए वित्त वर्ष की शुरुआत में ऐसे कई कर्मचारियों को यह दिल दहला देने वाली खबर मिली। कंपनी की तरफ से न तो कोई पूर्व सूचना दी गई और न ही कोई नोटिस। बस एक क्लिक से दुनिया की एक सबसे बड़ी आईटी कंपनी के हजारों कर्मचारियों की नौकरी चली गई। जाहिर है कि इन कर्मचारियों और उनके परिवारों को अचानक मिली इस जानकारी से बहुत बड़ा झटका लगा।

कंपनी के अधिकारियों का दावा है कि बुनियादी ढांचे और खुफिया डेटा केन्द्रों में निवेश करना पड़ा है, जिस खर्च की भरपाई करने के लिए कंपनी को कुछ पद खत्म करने पड़ रहे हैं। उन्होंने इस बड़े पैमाने पर छंटनी को सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण 'कदम' बताया है। लेकिन कंपनी की यह तरक्की कर्मचारियों के जीवन में किस प्रकार अंधकार ला रही है, यह एक उदाहरण से ही स्पष्ट हो जाता है। मई 2025 में ऑरेकल का राजस्व 12.443 अरब डॉलर यानी 1 लाख 24 हजार करोड़ रुपये था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 18.88 प्रतिशत अधिक था और इस अत्यधिक लाभ कमाने वाली कंपनी ने एक झटके में अनगिनत कर्मचारियों के जीवन में अंधकार ला दिया। कंपनी ने विश्व स्तर पर कुल 30 हजार कर्मचारियों की छंटनी की है, जिनमें से 12 हजार भारत में हैं। कई और कर्मचारियों पर अब भी छंटनी की तलवार लटक रही है।

ऑरेकल जैसी कई कंपनियां कर्मचारियों की छंटनी कर रही हैं। इसी तरह भारतीय आईटी कंपनी टीसीएस ने 2025 में 12,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी अमेजन ने 10,000 से अधिक कर्मचारियों को निकाल दिया। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2023 से 2031 के बीच भारत में आईटी क्षेत्र में 20 लाख लोग अपनी नौकरियां खो देंगे। अकेले 2026 में ही आईटी क्षेत्र में 65,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। जनवरी से नवंबर 2025 तक विश्व स्तर पर लगभग 11.7 करोड़ नौकरियां खत्म हुईं, जो 2020 की कोविड-19 महामारी के कारण खत्म हुई नौकरियों की संख्या से 2.2 गुना अधिक है।

कर्मचारियों को 'सायलेंट छंटनी' या स्वैच्छिक इस्तीफे के लिए मजबूर किया जा रहा है। निजी क्षेत्र के साथ-साथ सरकारी क्षेत्र में भी नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं है। कई लोगों का मानना है कि इसका कारण एआई या कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ऑटोमेशन यानी स्वचालन है। लेकिन क्या यही असली सच्चाई है?

पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली में सर्वोच्च मुनाफा ही एकमात्र लक्ष्य होता है, इसलिए तकनीकी प्रगति से मजदूर-कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार नहीं होता, बल्कि इससे शोषण और भी बढ़ जाता

(शेष पृष्ठ 8 पर)

के शहरों में बढ़ती मांग के कारण इस क्षेत्र का तेजी से विस्तार हो रहा है। उम्मीद है कि अगले पांच साल में निजी अस्पताल 30,000 बिस्तर और जोड़ लेंगे।

51. 'ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी 2019-20' के ब्यौरों के मुताबिक मार्च 2020 तक 1.55 लाख उप-केन्द्रों में से केवल 3.4% ही 'भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों' (आईपीएचएस) के मुताबिक काम कर रहे थे। 24,918 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से केवल 13% (3,278) और 8.4% बाल स्वास्थ्य केन्द्रों ने बुनियादी मानकों का पालन किया।

भाजपा सरकार ने विज्ञापनों पर खर्च किये लगभग 6000 करोड़ रुपये

52. लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में... सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री, एल. मुरुगन ने पिछले 11 साल में केन्द्र सरकार के विज्ञापन खर्च का विस्तृत ब्यौरा दिया। मंत्री ने बताया कि 2014-15 से 2024-25 के बीच, नरेंद्र मोदी सरकार ने विज्ञापनों पर कुल 5,987.46 करोड़ रुपये खर्च किये। इसका औसत लगभग 1.5 करोड़ रुपये हर दिन बैठता है। (न्यूज लॉन्ड्री 31-03-26)

चुनावी ऋण-पत्र (इलक्ट्रोरल बॉड)

53. भाजपा ने 12 अप्रैल 2019 से 24 जनवरी 2024 के बीच 6060.50 करोड़ रुपये के चुनावी ऋण-पत्र भुनाये, जो सभी पार्टियों के चुनावी बॉडों से ज्यादा हैं। इस दौरान, भुनाये गये कुल ऋण-पत्रों में भाजपा का हिस्सा 47.5% से ज्यादा था।

क्या भाजपा विवेकानंद के बताये रास्ते पर चलती है?

54. "धर्म का सामाजिक कानून बनाने से कोई लेना-देना नहीं है... सामाजिक कानून आर्थिक स्थितियों से बनते हैं... धर्म की सबसे बड़ी गलती सामाजिक मामलों में दखल देना थी... दूर रहो... अपनी सीमाओं में रहो और सब कुछ ठीक हो जाएगा।" (हम किसमें विश्वास करते हैं–3 मार्च 1894 को शिकागो से "किडी" को लिखा गया पत्र)

55. "ईसाइयों को बौद्ध बनने की जरूरत नहीं है, न ही मुसलमानों को हिंदू बनने की या बौद्धों को ईसाई। बल्कि उनमें से हर कोई दूसरे धर्मों के सार को अपनाकर समृद्ध होगा और अपनी अलग पहचान बनाए रखते हुए अपने स्वभाव के अनुसार विकसित होगा... हम मानवता को उस मुकाम तक ले जाना चाहते हैं जहां न कोई वेद हो, न बाइबिल और न ही कुरान, बल्कि सभी काम वेद, बाइबिल और कुरान के मेल से किये जाएं।" (संदेश और कार्य, उद्बोधन, पहला संस्करण, पहला खंड)

56. "अगर मेरा कोई बेटा होता, तो मैं उसे कोई धार्मिक शिक्षा नहीं देता, सिवाय एकाग्रता का अभ्यास करने, प्रार्थना का एक अनुच्छेद पढ़ने और मंत्रों का जाप करने के। उसके बाद, जैसे-जैसे वह बड़ा होता, वह ईसा मसीह, बुद्ध या मोहम्मद–जिसे भी चाहता–अपना लेता।" ...यह बहुत स्वाभाविक है कि पूरी आजादी के साथ और बिना किसी टकराव के, मेरा बेटा बौद्ध हो सकता है, मेरी पत्नी ईसाई और मैं खुद मुसलमान।" (बानी ओ रचना)

57. "काशी और वृंदावन के मंदिरों के दरवाजे खोलने और बंद करने पर लाखों रुपए खर्च किये जाते हैं। कभी भगवान कपड़े बदल रहे होते हैं, तो कभी चावल खा रहे होते हैं या बांझ औरतों के बेटों को डांट रहे होते हैं। दूसरी ओर, जीते-जागते भगवान बिना भोजन और कपड़ों के मर रहे हैं।" (बानी ओ रचना)

58. "रामायण और महाभारत में ऐसे उदाहरण मिलते हैं, जिनमें राम और कृष्ण, जिन्हें लोग भगवान मानकर पूजते हैं, शराब पीते और मांस खाते हैं। सीता देवी ने नदी-देवी गंगा को मांस, चावल और शराब के हजार घड़े चढ़ाने की मन्नत मांगती हैं।" (वैष्णवों के संदर्भ में)। ❍

PRGI Regn. No. 43022

मजदूर-विरोधी लेबर कोड नियमों की एकतरफा अधिसूचना की एआईयूटीसी ने की कड़ी निंदा, जोरदार प्रतिरोध का किया आह्वान

एआईयूटीयूसी के महासचिव कॉमरेड शंकर दासगुप्ता ने 10 मई को जारी प्रेस बयान में कहा कि देश के पूरे मजदूर वर्ग के कड़े विरोध के बावजूद वेतन संहिता-2019, सामाजिक सुरक्षा संहिता-2020 और औद्योगिक संबंध संहिता-2020 के लिए अंतिम नियमों को 8 मई, 2026 को अधिसूचित करने के केन्द्र सरकार के मनमाने कदम का केन्द्रीय ट्रेड यूनियन एआईयूटीयूसी कड़ा विरोध और निंदा करती है।

केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों से सार्थक परामर्श किये बिना या भारतीय श्रम सम्मेलन आयोजित किये बिना उठाया गया यह एकतरफा कदम लोकतांत्रिक मानदंडों पर सीधा हमला है और अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों का उल्लंघन है, जिन पर भारत ने भी हस्ताक्षर किये हुए हैं।

"ईज ऑफ डूइंग बिजनेस" यानी कारोबार में आसानी के नाम पर लाये गये ये कोड श्रमिकों के जीवन की तुलना में कॉर्पोरेट मुनाफे को प्राथमिकता देते हैं। ये लेबर कोड (श्रम संहिताएं) कठिन संघर्ष से हासिल 150 वर्षों की ऐतिहासिक उपलब्धियों पर सुनियोजित ढंग से पानी फेर देते हैं, जिससे भारतीय मजदूर प्रभावी रूप से औपनिवेशिक काल के शोषण की ओर वापस धकेले दिये जा रहे हैं।

हम यूनियन पंजीकरण को अधिक कठोर बनाने, नियोक्ता द्वारा श्रम कानूनों के उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने, ट्रेड यूनियन गतिविधियों के अपराध घोषित करने और हड़ताल के अधिकार को व्यावहारिक रूप से खत्म करने के कदम की निंदा करते हैं।

"निश्चित अवधि के रोजगार" और काम के अनिश्चित घंटों के सामान्यीकरण से नौकरी की सुरक्षा और कार्यस्थल पर सुरक्षा की बुनियाद ही खतरे में पड़ जायेगी।

गरीबी रेखा से नीचे एक "फ्लोर-लेवल न्यूनतम वेतन" का प्रावधान लागू करके और मौजूदा क्षेत्र-विशिष्ट सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा दायित्वों से पल्ला झाड़ करके सरकार ने अनौपचारिक-औपचारिक यानी संगठित-असंगठित दोनों क्षेत्रों के श्रमिकों के प्रति अपने कर्तव्य को तिलांजलि दे दी है। इन लेबर कोडों के जरिये उस निरीक्षण तंत्र को खत्म कर दिया गया है, जो समय की कसौटी पर खरा उतरा है। इससे कर्मचारियों के नुकसान के लिए दोषी नियोक्ताओं यानी मालिकों को पूर्ण रूप से छूट मिल गई है।

12 फरवरी की ऐतिहासिक विशाल अखिल भारतीय आम हड़ताल के बावजूद केन्द्र सरकार अड़ियल रुख अपनाते हुए इन लेबर कोडों को वापस लेने के लिए अनिच्छुक बनी हुई है।

एआईयूटीसी का एलान है कि संघर्ष को तेज करने के सिवा हमारे पास और कोई विकल्प नहीं बचा है। हम मजदूर वर्ग से इन कठोर लेबर कोडों के कार्यान्वयन के खिलाफ प्रतिरोध की दीवार खड़ी करने का आह्वान करते हैं। जब तक ये मजदूर-विरोधी, असंवैधानिक और अमानवीय कानून पूरी तरह से रद्द नहीं हो जाते, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे।

मुख्य न्यायाधीश से अपील

नई दिल्ली।

ऑल इण्डिया किसान खेत मजदूर संगठन (एआईकेकेएमएस) के महासचिव कॉमरेड शंकर घोष ने 1 मई 2026 को मुख्य न्यायाधीश से निम्नलिखित अपील की:

माननीय महोदय,

बहुत ही दु:ख और भारी मन से हमारे ध्यान में यह बात है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव तो संपन्न हो गए, लेकिन 27 लाख मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। इस घटना ने आम नागरिकों और लोकतांत्रिक मनोभाव वाले लोगों को परेशान कर दिया है। मतदाता सूची से बाहर किये गये नागरिकों को अभी तक यह नहीं पता कि उनके जीवन का यह दुखद दौर कब खत्म होगा या उन्हें अपना मताधिकार कब वापस मिलेगा।

आपके द्वारा स्थापित न्यायाधिकरण ने अब तक केवल 1600 आवेदनों का निपटारा किया है। इस गति से 27 लाख लोगों के आवेदनों का निपटारा करने में सौ साल से भी ज्यादा समय लग जायेगा, जो निष्पक्ष न्याय की अवधारणा के बिल्कुल विपरीत है। न्यायशास्त्र के सिद्धांतों से हम वाकिफ हैं कि "न्याय में देरी न्याय से इनकार के समान है।"

इस तथ्य को याद दिलाते हुए कि न्यायाधिकरण के न्यायाधीशों में से एक और कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति टी.एस. शिवज्ञानम ने पहले ही इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि अकेले कोलकाता जिले से आये एक लाख आवेदनों के निपटारे में ही चार साल लग जायेंगे। उनका यह कथन हमारी गंभीर आशंकाओं की पुष्टि करता है। इसका अर्थ यह है कि नागरिकों की यह विशाल संख्या आगामी कई चुनावों में अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पायेगी और वास्तव में अपने सभी नागरिक अधिकारों से वंचित हो जायेगी। आज राष्ट्र का विवेक मानव अन्याय के ऐसे शर्मनाक अध्याय को लिखे जाते देखकर भयभीत है।

इन हालात में हम मांग करते हैं कि सभी नागरिकों को उनके मताधिकार की तत्काल बहाली सुनिश्चित करने के उपाय किये जायें।

हमें आशा है कि आप हमारी जायज मांग को गंभीरतापूर्वक लेंगे और इन लाखों लोगों के कष्टों का अंत करेंगे।

मुनाफाखोर पूंजीवाद...

(पृष्ठ 7 का शेष)

है। इसके विपरीत, प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के नाम पर वे मनमाने ढंग से मजदूर-कर्मचारियों को नौकरी से निकाल देते हैं और उन पर काम का अतिरिक्त बोझ डाल देते हैं। एआई उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के बजाय कुशल श्रमिकों को नौकरी से निकाल रहा है। इसलिए जो मजदूर-कर्मचारी आज अपने कौशल के कारण मालिक के लिए अपरिहार्य हैं, वे नई तकनीक के आने के बाद कल अप्रासंगिक हो जाएंगे। तो क्या तकनीक स्वयं एक आपदा है? नहीं। जब तक उत्पादन का उद्देश्य पूरे समाज या जनता के हित साधने के बजाय निजी मुनाफा कमाना है, तब तक तकनीक और प्रोद्योगिकी मालिक के हित साधेगी। मजदूरों के श्रम का इस्तेमाल मालिकों की धन-दौलत बढ़ाने के लिए ही होगा। तकनीक व प्रोद्योगिकी का इस्तेमाल श्रमिकों का बोझ कम करने या उनके काम को हल्का करने में मदद देने के लिए नहीं किया जाएगा। नतीजतन, छंटनी का संकट बढ़ता ही जाएगा। इसलिए उत्पादन के उद्देश्य में तेजी से बदलाव की जरूरत है। ●

नीट (एनईईटी) पेपर लीक के खिलाफ एआईडीएसओ व एआईडीवाईओ ने किया विरोध प्रदर्शन

बदलापुर, जौनपुर, उ.प्र।

नीट पेपर लीक के खिलाफ देशव्यापी विरोध सप्ताह के क्रम में ऑल इण्डिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन (एआईडीएसओ) व ऑल इण्डिया डेमोक्रेटिक यूथ आर्गेनाइजेशन (एआईडीवाईओ) ने 15 मई को संयुक्त विरोध प्रदर्शन किया। जुलूस बदलापुर सब्जी मण्डी के पास से चलकर इन्दिरा चौक होते हुए बदलापुर तहसील परिसर पहुंचा, जहां महामहिम राष्ट्रपति महोदया को सम्बोधित 6 सूत्री मांगपत्र तहसीलदार, बदलापुर को सौंपा गया।

ज्ञापन में सभी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने, नीट पेपर लीक में शामिल सभी दोषियों को कड़ी सजा देने, एनटीए को समाप्त करने और सार्वजनिक शिक्षा की रक्षा करने की मांग की गई।

कार्यक्रम को एआईडीवाईओ के जौनपुर जिलाध्यक्ष कॉमरेड इन्दुकुमार शुक्ल, एआईडीएसओ के राज्य सचिव कॉमरेड दिलीप कुमार के अलावा अभिभावक प्रमोद कुमार शुक्ल ने भी सम्बोधित किया। संचालन कॉमरेड संतोष प्रजापति ने किया। इस अवसर पर कई छात्र-नौजवान मौजूद रहे।

सभी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में जवाबदेही व पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए, पेपर लीक में शामिल सभी दोषियों को कड़ी सजा दी जाए और एनटीए खत्म किया जाए

—एआईडीएसओ

नई दिल्ली : नीट पेपर लीक पर त्वरित प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एआईडीएसओ के महासचिव कॉमरेड शिवाशीष प्रहराज ने 12 मई को जारी प्रेस बयान में कहा :

"राजस्थान में प्रश्नपत्र लीक के आरोपों के बाद नीट-यूजी 2026 को रद्द किये जाने और सीबीआई जांच के आदेश ने एक बार फिर देश में केन्द्रीकृत उच्च-स्तरीय परीक्षाओं से जुड़े गहरे संकट को उजागर कर दिया है।

एआईडीएसओ निष्पक्ष, पारदर्शी और सुरक्षित परीक्षा प्रक्रिया सुनिश्चित करने में एनटीए की लगातार विफलताओं की कड़ी निंदा करता है। पिछले कई वर्षों से विभिन्न केन्द्रीय परीक्षाओं में पेपर लीक, अनियमितता, हेरफेर और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप बार-बार लगते रहे हैं।

इतने बहुप्रचारित "सुरक्षित" परीक्षा तंत्र को भेदना किसी सामान्य व्यक्ति के वश की बात नहीं हो सकती; इस प्रकार की संगठित धांधली प्रभावशाली और ऊंचे स्तर के नेटवर्क की संलिप्तता की ओर इशारा करती है। अगर हर बार असली दोषियों को बचा लिया जाए या जांच निष्कर्षहीन रह जाए, तो छात्र और अभिभावक नीट तथा अन्य केन्द्रीय परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर कैसे भरोसा करेंगे?

एआईडीएसओ का मानना है कि इस गहरे दोषपूर्ण और अत्यधिक केन्द्रीकृत परीक्षा प्रणाली की लगातार विफलता कोचिंग उद्योग के हितों को बढ़ावा देती है तथा छात्रों और उनके परिवारों पर भारी मानसिक, आर्थिक और शैक्षणिक दबाव डालती है। यह घोर भ्रष्टाचार चिकित्सा शिक्षा के निजीकरण का नतीजा है। नीट-यूजी व अन्य केन्द्रीय परीक्षाओं से जुड़े लगातार घोटालों ने छात्रों व अभिभावकों का विश्वास तोड़ दिया है। केवल प्रेस विज्ञप्तियों और अस्पष्ट आश्वासनों से विश्वसनीयता बहाल नहीं की जा सकती। इस अनिश्चित और त्रुटिपूर्ण व्यवस्था के कारण छात्रों पर पड़ने वाला भारी मानसिक दबाव अस्वीकार्य है। जब तक सख्त जवाबदेही तय नहीं की जाएगी और पद तथा शक्ति की परवाह किये बिना वास्तविक दोषियों को दंडित नहीं किया जाएगा, तब तक ऐसी घटनाएं बार-बार होती रहेंगी।

निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षाएं आयोजित करने में एनटीए लगातार नाकाम साबित हुआ है, इसलिए इस एजेंसी को खत्म कर दिया जाना चाहिए।

एआईडीएसओ छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों व सभी लोकतांत्रिक सोच रखने वाले लोगों से आह्वान करता है कि वे केन्द्रीय परीक्षाओं को लेकर लगातार बढ़ती अनियमितताओं और असुरक्षा के खिलाफ मिलकर आवाज उठायें और एक निष्पक्ष, लोकतांत्रिक व विश्वसनीय शिक्षा एवं परीक्षा प्रणाली की मांग को लेकर देशव्यापी संयुक्त छात्र आंदोलन गठित करें।

हमारी मांगें : न्यायिक निगरानी में पारदर्शी और समयबद्ध जांच हो; पद और शक्ति की परवाह किये बिना सभी दोषियों को कड़ी सजा दी जाये; जांच रिपोर्ट के निष्कर्ष सार्वजनिक किये जायें; सभी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाए जायें। नीट-यूजी व अन्य केन्द्रीय परीक्षाएं आयोजित करने वाली एजेंसी एनटीए को खत्म किया जाये। सभी परीक्षाएं सरकार स्वयं पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ आयोजित करे।

बीपीएससी टीआरई 4.0 परीक्षा के लिए प्रदर्शन कर रहे छात्र-छात्राओं पर पुलिस लाठीचार्ज व गिरफ्तारी का विरोध

पटना (बिहार) :

छात्रों पर बर्बर पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ छात्र संगठन एआईडीएसओ द्वारा 10 मई को पटना कॉलेज गेट पर विरोध प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया।

संगठन ने मांग की कि लाठीचार्ज के दोषी पुलिस कर्मियों को दंडित किया जाये, गिरफ्तार छात्रों को अविलंब रिहा किया जाये और बीपीएससी टीआरई 4.0 परीक्षा का नोटिफिकेशन तुरंत जारी किया जाये।

Printed and published by Com. Satyawan on behalf of the Central Committee of the Socialist Unity Centre of India (Communist) and printed at M/s Marutinandan Printers and Publishers, Shakti Complex,6/18, Sameypur Industrial Area, Delhi-110042 and published at 3A/38, WEA, Satnagar, Karol Bagh, New Delhi-110005.
Editor: Comrade Satyawan, Member, Central Committee, SUCI(C). **Phone No. : 9416763089, 9868350503** Email: **sarvaharadrishtikon@gmail.com**